शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 16 अंक : 4 1 नवम्बर 2023

कार्तिक मास, विक्रम संवत् 2080

परामर्श

के.नरहरि

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

जगदीश प्रसाद सिंघल

शिवानन्द सिन्दनकेरा

जी. लक्ष्मण

महेन्द्र कुमार

❖

सम्पादक

प्रो. शिवशरण कौशिक

❖

संपादक मंडल

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

प्रो. ओमप्रकाश पारीक

डॉ. एस.पी. सिंह

प्रो. दीनदयाल गुप्ता

भरत शर्मा

❖

प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक

बसंत जिंदल

❖

प्रेषण प्रभारी : **नौरंग सहाय 'भारतीय'**

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली - 110053

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

वार्षिक शुल्क ₹ 250/-
दस वर्षीय शुल्क ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा ❑ डॉ. संजय सिंह पठानिया

शिक्षण संस्थानों एवं सभी पुस्तकालयों को आधुनिक बनाकर इस प्रकार सुसज्जित किया जाए कि दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट में पुस्तक में उपलब्ध हो जाए। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, यह नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण, उपर्युक्त तकनीक आधारित उपकरण और भाषा शिक्षण संबंधी व्यवस्था करने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है।

अनुक्रम

3.	सम्पादकीय	-	प्रो. शिवशरण कौशिक
4.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों ...	-	धीरज कुमार पारीक
12.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा...	-	डॉ. विनोद कुमार शर्मा
15.	विशेष योग्यजन व्यक्ति और समाजिक वातावरण	-	डॉ. दीक्षिता अजवानी
18.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा	-	डॉ. ममता जोशी
20.	उच्च शिक्षा और विशेष योग्यजन	-	प्रो. नंद किशोर
23.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विशेष योग्यजन	-	डॉ. पप्पू लाल गुप्ता
26.	आखिर क्यों?... मनोवैज्ञानिक दबाव में आत्महत्या	-	डॉ. नसीब कुमार
29.	विद्यार्थियों पर ई-खेलों का प्रभाव	-	डॉ. प्रियंका बसवाल
31.	The National Education Policy 2020 ...	-	Sanchita Sharma
38.	National Education Policy- 2020 ...	-	Dr. Abhay Krishna Singh
41.	संत कबीर का विचार-दर्शन	-	प्रो. सुशील कुमार बिस्सू

NEP 2020 : Transforming Higher Education

❑ **Dr. Akhilesh Mishra**

Skill based education : One of the prime roles of higher education is preparation of professionals who can contribute in the development of the country. It must centrally involve developing the skills of critical and interdisciplinary thinking, discussion, debate, research, and innovation. Therefore NEP 2020 is stressing upon the skill based education.For this, students at all HEIs will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions or industries so that students may actively be exposed, engaged and trained with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability.

संपादकीय

प्रो. शिवशरण कौशिक
सम्पादक

भारत हजारों वर्षों से समान रूप से अपनी समृद्ध ज्ञान-परंपरा और दान-परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दान की परंपरा में लोक-कल्याण के लिए ऐश्वर्यमद में आये इंद्र को अपनी देह का दान करने वाले महर्षि दधीचि, वामनरूप याचक विष्णु को तीनों लोकों का दान करने वाले राजा बलि, शरणागत के रूप में पक्षिमात्र की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का दान करने वाले महाराजा शिबि, अतिथि सत्कार में अपने पुत्र का बलिदान कर देने वाले दानवीर राजा मोरध्वज और स्वयं का जीवन खतरे में डालकर भी अपने कवच-कुंडल दान करने वाले दानवीर कर्ण जैसे ऐतिहासिक-पौराणिक प्रसंगों ने भारत के नागरिकों और विद्यार्थियों का निरंतर नैतिक परिष्कार किया है।

लोक कल्याण की भावना से दिये जाने वाले दान के संस्कार ने वर्षों तक भारत में जरूरतमंद लोगों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए विषमताओं को नियंत्रित रखा है। समाज में बहुत से साधनहीन, भूमिहीन अर्थहीन व्यक्तियों की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक प्रकार से सम्पन्न तथा धनीवर्ग द्वारा की जाती रही है। यह सहयोग मुद्रा, वस्तुओं, भूमि, वस्त्र आदि के विभिन्न प्रकारों में हो सकता है। भारतीय संस्कृति में तो गुरुकुल शिक्षा-व्यवस्था में विद्या प्रदान करना भी 'विद्यादान' की श्रेणी में आता था, जबकि आचार्य अपने शिष्य से उसके प्रतिफल के रूप में केवल प्रतीकात्मक गुरु दक्षिणा ही लेता था, कोई विशेष धन या उपभोग की वस्तु तो कदापि नहीं! शास्त्रों में कहा भी गया है -

अन्नदानं परं दानं,
विद्यादानमतः परम्
अन्नेन क्षणिकातृप्तिः
यावज्जीवम् च विद्यया।

अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है और अन्नदान से उत्तम दान विद्यादान है। क्योंकि अन्न से क्षणमात्र की तृप्ति होती है, परंतु विद्या से जन्म पर्यन्त तृप्ति होती है। 'विद्या' जो अब शिक्षा कही जाने लगी है, की व्यवस्था समाज और राज्य की होती है।

समाज में अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान, भूदान, स्वर्ण-रजत दान के भी अनेक अवसर और उदाहरण देखने-सुनने को मिलते हैं। आधुनिक समाज में रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान व देहदान की परंपरा भी बढ़ी है जो एक-दूसरे के प्रति सह-अस्तित्व और सद्भाव का परिचायक है। हमारे यहाँ दान देने वाले को 'वीर' कहा गया है। धर्मवीर, युद्धवीर के क्रम से दानवीर को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि त्याग भारतीय संस्कृति का आधार मूल्य है।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि दान उसे दिया जाता है जिसने दाता पर कभी कोई उपकार न किया हो। सेवा, त्याग, समर्पण भाव से किया गया दान ही श्रेष्ठ माना गया है जिसके केन्द्र में मानवता है। देने वाले के मन में दाता का भाव आने से वह दान दोषपूर्ण हो जाता है।

मध्यकाल के भक्त-कवियों में गोस्वामी तुलसीदास और अकबर के नवरत्नों में कवि रहीम का एक प्रसंग विख्यात है। रहीमदास जी अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग दान किया करते थे और दान देते समय अपने हाथ आगे और नेत्र नीचे रखते थे और याचक से कभी आँखें नहीं मिलाते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने पत्र लिखकर उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने रहीम को एक दोहा लिखकर भेजा -

ऐसी देनी देन जू,
कित सीखे हो सैन।
ज्यों-ज्यों कर ऊँचे करो,
त्यों-त्यों नीचे नैन।।

(कुछ विद्वान इस दोहे को गंग कवि का मानते हैं)

रहीम ने तुलसी को जो उत्तर लिखा वह विनम्रता, मार्मिकता और बुद्धिमता से परिपूर्ण था। उन्होंने लिखा -

देनहार कोई और है,
देवत है दिन रैन।
लोग भरम हम पर करें,
याते नीचे नैन।।

आशय यह है कि दान देते समय या किसी की मदद करते समय हमारे मन में अभिमान का भाव नहीं अपितु विनम्रता का व सह-अस्तित्त्व का भाव होना चाहिए। काश! देश में वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षत्रप-राजा भी जनता की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति में लागू की जाने वाली योजनाओं को दाताभाव से हटकर सेवकभाव से पूरा करने लगें तो समाज का स्वरूप कैसा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है! प्रजा को भिखारी और स्वयं को दाता समझने के भाव ने भारत की समृद्ध दान-परंपरा को तथा आज की राजनीति को रसातल में पहुँचा दिया है। शासन में रहकर राज्य के अर्थ को अनीतियों की भेंट चढ़ाना और प्रजा में केवल याचक-भाव भर देना आज की राजनीति का प्रधान मार्ग बन गया है। जैसे सत्ता-प्राप्ति का प्रमुख मार्ग यही हो! जिस विद्या के दान से समाज सुसंस्कृत और समृद्ध बनता है वह शिक्षा-व्यवस्था सरकारों की प्राथमिकता में नहीं रही। आज आवश्यकता है कि सार्वजनिक दान की योजनाएँ पारदर्शी और प्रजा-हितैषी होनी चाहिएँ।

शैक्षिक मंथन के इस अंक में विशेष योग्यजन शिक्षा पर केन्द्रित कुछ आलेख संग्रहणीय हैं। नई शिक्षा नीति में विशेष योग्यजनों की शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कुछ रचनात्मक सुझाव दिये गए हैं जिसमें उनकी विशेष योग्यतानुसार शिक्षा-पद्धति, शिक्षण-संस्थान, विशेष शिक्षक तथा कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना प्रमुख है। विशेष योग्यजनों के आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत शिक्षण के भी नीति में प्रस्ताव किये गए हैं। ❑

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

धीरज कुमार पारीक
सह आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग
सनातन धर्म राजकीय
महाविद्यालय, ब्यावर (राज.)

भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व में सबसे प्राचीन है। भारत सभ्यताओं का गलन केंद्र कहलाता है। अपने लंबे औपनिवेशिक शासन काल में भारत अपने प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास और वैदिक ज्ञान को विस्मृत करता हुआ, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की तरफ बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का आधिपत्य रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीयता को केंद्र में रखने वाले विचारक हैं। भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार वर्तमान भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। अत: इन विचारों का गहन विश्लेषण एवं वर्णन आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार विश्व में जहाँ भी ज्ञान है वह उपयोगी है। हमें पुरातन ज्ञान को युगानुकूल करके एवं पाश्चात्य को देशानुकूल करके अपनाना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचार, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में सम्मिलित हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर वर्तमान भारत के विकास के सभी आयामों के लिए समन्वित मार्ग प्रस्तुत किया। जिसे एकात्म मानव दर्शन के रूप में जाना जाता है।

दीनदयाल उपाध्याय स्वयं भी एक मेधावी छात्र थे। उनकी विद्यालयी शिक्षा राजस्थान में हुई। उस दौरान वे बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में अव्वल आए थे। उन्होंने गरीब विद्यार्थियों एवं सहपाठियों की सहायता करने के लिए शून्य संघ (Zero Association) की स्थापना भी की थी। युवावस्था में ही उनकी प्रगल्भ बुद्धि व्यक्ति और समाज, परंपरा तथा संस्कृति, स्वदेश तथा स्वधर्म जैसे गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित हो चुकी थी। अत: इन विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप वे भारतीय प्राचीन मनीषा के आधुनिक व्याख्याकार के रूप में उभरे। जिसमें भारतीय समाज को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाले विभिन्न अंतर्विरोधों पर विजय पाने की योग्यता प्रदान की।

राष्ट्र नीति के विभिन्न आयामों के समान ही शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के ढाँचे पर उनके विचार एकात्मवादी हैं। वे शिक्षा को समाज का दायित्व स्वीकार करते हैं और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को उत्कृष्ट मानते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही शिक्षा पर

राजकीय व्यय में वृद्धि, सभी को शिक्षा, नि:शुल्क शिक्षा, स्वभाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा के एकाधिकार से मुक्त शिक्षा, रोजगार देने वाली शिक्षा, बड़े औद्योगिक घरानों का सामाजिक दायित्व कोष जैसे विषयों को अपनी पुस्तकों, लेखों एवं बौद्धिक भाषणों के माध्यम से जनसामान्य के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रस्तुत शोध लेख में स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था एवं नीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन्हीं विचारों एवं उनकी प्रासंगिकता का वर्णन एवं विश्लेषण किया गया।

भारत में शिक्षा व्यवस्था पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति प्रेरित शैक्षिक विचारक थे। उन्होंने भारतीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का गहन विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में उन्होंने पाया कि विदेशों से आयातित विचार भारतीय परिस्थितियों में पूर्णतया अनुकूल नहीं है। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल्यों एवं नवीन पाश्चात्य तथ्यों के उपयुक्त संयोजन को अपनाने के पक्षधर रहे हैं।

1. शिक्षा – व्यक्ति निर्मात्री एवं समाज संचालिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा का संबंध जितना व्यक्ति से है उससे अधिक समाज से है। अपने जीवन काल में संचित ज्ञान को क्रमश: अगली पीढ़ी को प्रदान करने की प्रक्रिया में एक निरंतर गतिमान मानव समूह की सृष्टि होती है, जिसे समाज कहते हैं। अनुभव प्रसारण की इस क्रिया को ही वास्तव में शिक्षा कहते हैं। अत: शिक्षा के प्रश्न को मूलत: सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा की जितनी व्यापक और गहरी व्यवस्था होगी समाज उतना ही अधिक प्रगत और गंभीर होगा।

पंडित उपाध्याय 'शिक्षा के माध्यम के तीन रूप स्वीकारते हैं – संस्कार, अध्यापन और स्वाध्याय। अध्यापन शिक्षा का सर्वमान्य साधन है, तथापि शालेय शिक्षा अकेली ही मनुष्य का निर्माण नहीं करती।' इस प्रकार वे चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, समन्वित दृष्टिकोण एवं एकरूप निष्ठाओं का समावेश शिक्षा में करते हैं। उनके अनुसार ''इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि शिक्षा का माध्यम स्वभाषा ही हो क्योंकि स्वभाषा व्यक्ति को अलग-अलग प्रकोष्ठों में नहीं बाँटती और भाषा में उस समाज के जीवन की अनुभूतियाँ और राष्ट्र की घटनाओं का इतिहास छिपा होता है।''

2. विद्यार्थी और अनुशासन – वर्तमान में शिक्षा जगत के महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में विद्यार्थियों में अनुशासन का स्तर कम हो रहा दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार ''आजकल अनुशासन के विषय में विद्यार्थियों को दोष देने की प्रथा पड़ गई है। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर विद्यार्थियों को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं अनावश्यकता अव्यवस्था की है।'' यह कथन सही भी है क्योंकि विद्यालय प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम में आवश्यक रूपांतरण करके अनुशासनहीनता की समस्या को कम किया जा सकता है। शिक्षा को बोधगम्य, नैतिकता से युक्त और राष्ट्र-समाज केंद्रित होना चाहिए।

3. शिक्षा पर राजकीय व्यय में वृद्धि – दीनदयाल उपाध्याय भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के सतत अध्येता रहे हैं। उन्होंने प्रथम चार पंचवर्षीय योजना की गहन समीक्षा करते हुए पुस्तकों एवं अनेक लेखों की रचना की है। योजना आयोग द्वारा नियोजन के विभिन्न लक्ष्यों की प्राथमिकताओं पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने सभी के लिए काम और सभी के लिए शिक्षा पर जोर दिया। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी पुस्तक द टू प्लांस में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के अंग के रूप में शिक्षा एवं शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार एवं व्यय में वृद्धि के पक्ष में तर्क देते हैं।

4. शिक्षा का सार्वभौमीकरण या सभी को शिक्षा – भारत में वैदिक काल से ही सभी वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। यजुर्वेद में उल्लेख है कि समाज के सभी वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए वेद वाणी का अधिकार है। संस्कृत साहित्यकार विष्णु शर्मा के अनुसार ''माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठ्यते।'' पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी शिक्षा को व्यक्ति का जन्मत: अधिकार मानते थे और समाज का दायित्व स्वीकारते थे। दीनदयाल

उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने पर हमें सार्वभौमिक शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि विकास के मार्ग में अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभों को पहुँचाना ही अंत्योदय है। इन अर्थों में समाज के अंतिम पायदान पर अवस्थित व्यक्ति तक शिक्षा का लाभ पहुँचाना, हमारी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए।

5. नि:शुल्क शिक्षा – पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्राचीन भारत की व्यवस्था का वर्णन करते हुए उल्लेख किया है कि उस समय शैक्षिक व्यवस्था का व्यय भार पूर्णतया समाज अथवा राज्य द्वारा वहन किया जाता था। दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं मानते थे। वे शिक्षा के विक्रय को अन्य भारतीय दार्शनिकों की भांति समाज के लिए घातक मानते थे। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि ''बच्चों को शिक्षा देना समाज के अपने हित में है। जन्म से मानव पशुवत होता है। शिक्षा एवं संस्कार से वह समाज का अभिन्न अंग बनता है। जो काम समाज के अपने हित में हो, उसके लिए शुल्क लिया जाए यह उल्टी बात है।'' वामपंथी लेखक बसु (1993) के अनुसार ''दीनदयाल उपाध्याय स्वतंत्र भारत के प्रथम विचारक जो सभी के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा की बात करते हैं।'' इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दीनदयाल उपाध्याय के विचार में शिक्षा की व्यवस्था नि:शुल्क होनी चाहिए।

6. स्वभाषा में शिक्षा या अंग्रेजी भाषा के एकाधिकार से मुक्त शिक्षा – दीनदयाल उपाध्याय स्वभाषा को शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। राजभाषा आयोग 1955-56 के सचिव द्वारा भारत सरकार की आज्ञा की अनुपालन में रूस जाकर वहाँ की भाषा नीति का अध्ययन करने को सही नहीं मानते। पं. उपाध्याय के अनुसार ''जीवन के हर क्षेत्र में विदेशों की नकल की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान को तो ठेस पहुँचाती ही है, साथ ही वह हमारे समुचित विकास एवं योग्य निर्णय में भी बाधक है।'' उनके यह विचार भारत में लागू मैकाले की शिक्षा नीति और 1986 की शिक्षा नीति पर भी कहीं ना कहीं लागू होते हैं। उपाध्याय के विचारों के आधार पर हमें एक ऐसी शिक्षा नीति की परम आवश्यकता है, जो अंग्रेजी भाषा के एकाधिकार को दूर करते हुए, (कम से कम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक) मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था करें।

7. रोजगार देने वाली शिक्षा – दीनदयाल उपाध्याय मात्र अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उन्होंने शिक्षा के तीन रूप अध्यापन, स्वाध्याय और माने हैं। उनके अनुसार भारत की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की खामियों और नियोजन प्रणाली की त्रुटियों के कारण भारत में शिक्षित बेरोजगारी आम बात हो गई थी। अपनी पुस्तक टू प्लांस में उन्होंने उल्लेख किया है कि ''शिक्षित बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का सामान्य हिस्सा है। सितंबर 1955 में योजना आयोग द्वारा गठित एक अध्ययन दल के अनुमान लगाया था कि आने वाले 5 वर्षों में 14.5 लाख अतिरिक्त शिक्षित लोग श्रमबल में जुड़ जाएंगे। मौजूदा समय में अनुमानित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 5.50 लाख है। यानी इन 20 लाख शिक्षित बेरोजगारों में से 14.40 लाख लोग ही आने वाले 5 साल में रोजगार पा सकेंगे।'' स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में रोजगारपरक शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारी पर उनकी पैनी नजर सदैव बनी रही। शिक्षित बेरोजगारों की इस व्यापक समस्या के कारण की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि ''वास्तव में योजना आयोग को चाहिए था कि वह तकनीकी लोगों के प्रशिक्षण की योजना बनाएँ। इस संदर्भ में पहली योजना में कुछ खास नहीं हुआ। बाद में द्वितीय योजना के मद्देनजर इंजीनियरिंग कमेटी का गठन किया गया। कुल परिणाम में यह भी देखा गया कि तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन यह औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे विकास के सहज स्वभाव का प्रकटीकरण था। एक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता तो है ही, लेकिन राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों के लिए प्रशासनिक कर्मियों जो निष्ठावान हों, अर्थव्यवस्था की समझ रखते हों की भी आवश्यकता है।'' इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और

राष्ट्र नीति के विभिन्न आयामों के समान ही शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के ढाँचे पर उनके विचार एकात्मवादी हैं। वे शिक्षा को समाज का दायित्व स्वीकार करते हैं और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को उत्कृष्ट मानते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही शिक्षा पर राजकीय व्यय में वृद्धि, सभी को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, स्वभाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा के एकाधिकार से मुक्त शिक्षा, रोजगार देने वाली शिक्षा, बड़े औद्योगिक घरानों का सामाजिक दायित्व कोष जैसे विषयों को अपनी पुस्तकों, लेखों एवं बौद्धिक भाषणों के माध्यम से जनसामान्य के सम्मुख प्रस्तुत किया।

राज्यव्यवस्था के लिए तकनीकी कर्मियों और प्रशासनिक कर्मियों की उचित प्रशिक्षण व्यवस्था पर नियमित रूप से बल देते हैं।

8. बड़े औद्योगिक घरानों का सामाजिक दायित्व कोष उपाध्याय के अनुसार भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्य द्वारा हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने से पूर्व तक हमारी शिक्षा व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी थी। तमिलनाडु के प्रत्येक गाँव में एक समृद्ध आश्रम या विद्यालय होता था गाँव का प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, वस्त्र या आर्थिक सहायता देखकर इन विद्यालयों के संचालन में योगदान देता था। स्वतंत्र भारत में उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों द्वारा ऐसा ही सामाजिक दायित्व का प्रकल्प नियोजित किया जाना चाहिए, जैसा स्वतंत्रता आंदोलन में कई बड़े सेठों एवं स्वतंत्रता सेनानियों जैसे जमनालाल बजाज, दामोदरदास राठी, माणिक्य लाल वर्मा आदि द्वारा किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय औद्योगिक घरानों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था में आर्थिक योगदान पर बल देते हैं।

9. स्वराज और सुराज का आधार शिक्षा? दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार 15 अगस्त 1947 को हमें स्वराज तो मिल गया, किंतु सुराज प्राप्ति के लिए भारतीयता को केंद्र में रखने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। वे शिक्षा को स्वराज एवं सुराज का माध्यम मानते थे। उपाध्याय (1967) ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वराज्य से स्वराष्ट्र तक अपने लेख में वर्णन किया है। जैसा कि राजस्थान के उच्च शिक्षा के शिक्षकों के प्रमुख संगठन, रुक्टा (राष्ट्रीय) (जो अब एबीआरएसएम राजस्थान उच्च शिक्षा है) ने अपने वार्षिक कलैंडर में ध्येय वाक्य के रूप में सम्मिलित किया है- 'शिक्षे! तुम्ही हो साधती, स्वराज भी सुराज भी।'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पं. दीनदयाल उपाध्याय

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गयी है। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला आधारभूत परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह नीति देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश के सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं -

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय (केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से) का लक्ष्य रखा गया है।

3. 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम परिवर्तित करके 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।

4. पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

5. देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।

इस प्रकार भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई अर्थों में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली और भारतीयता को केंद्र में रखने वाली है। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों के वर्णन से स्पष्ट होता है, कि उन्होंने 'शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने, शिक्षा के सार्वभौमीकरण और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा' जैसे विचारों पर अत्यधिक बल दिया था।

इन सभी विचारों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्णतया अपनाया गया है। उपर्युक्त प्रमुख पाँच बिंदु, दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा नीति संबंधी विचारों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण हैं। ऐसे ही विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1950 और

1960 के दशक में दिए थे। यद्यपि 60 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात तथापि भारतीयता को केंद्र में रखने वाले इन विचारों को पूर्ण करने वाली नीति लागू हुई है। संभवत: भारत को पुन: विश्वगुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

समकालीन भारतीय परिस्थितियाँ और उपाध्याय के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता

वर्तमान भारत चुनौतियों एवं अवसरों के दौर से गुजर रहा है। समकालीन भारत में दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा से संबंधित विचारों की प्रासंगिकता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –

1. भारतीय मूल्यों की रक्षा के लिए दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा होती है, जिसे उन्होंने चिति कहा है। भारत विदेशी आक्रमणों से पूर्व विश्व गुरु कहलाता था। हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास एवं उसके आधार के रूप में भारतीय मूल्यों की रक्षा करनी होगी। तभी हम भारतीय संस्कृति के आदर्शों वसुधैव कुटुंबकम् और विश्व शांति की बात कर पाएंगे। भारतीय संस्कृति में समानता, पुरुषार्थ चतुष्टय, सामाजिक संस्थाएँ और चरित्र की उत्तमता को आदर्श मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। इन भारतीय मूल्यों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति को भारतीयता के अनुरूप करना होगा। नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा को हमारी औपचारिक शिक्षा प्रणाली का अंग बनाना होगा। वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों, सामाजिक विघटन और गैरराष्ट्रवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता वर्तमान में कई गुना बढ़ गई हैं।

2. शिक्षा पर व्यय में वृद्धि के लिए दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा को व्यवसाय नहीं मानते हैं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए समाज का उत्तरदायित्व मानते हैं। अत: उन्होंने नि:शुल्क शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा पर जोर दिया था। साथ ही शिक्षा के विस्तार और गहनता (गुणवत्ता) दोनों पर बल दिया। इन सभी प्रकल्पों के कारण स्वभाविक है कि शिक्षा पर राजकीय खर्च में वृद्धि होगी। दीनदयाल उपाध्याय भी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में, समाज एवं अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दिलाना चाहते थे। आज जब जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ (2022) के पार हो गई है और हमारा लक्ष्य विकसित (5 ट्रिलियन डॉलर, 2030 तक) अर्थव्यवस्था बनने का है।

तालिका – भारत में जीडीपी का शिक्षा पर व्यय

क्र	वित्तीय वर्ष	शिक्षा पर व्यय (as % of GDP)
1	1951–52	0.64
2	1980–81	2.98
3	2005–06	3.34
4	2014–15	4.07
5	2021–22	4.60
6	2030*NEP	6.00

Source - NIEPA 2005, MHRD 2016 b, UB 2022, NEP 2020.

इन परिस्थितियों में शिक्षा पर व्यय में वृद्धि का दीनदयाल उपाध्याय का विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।

3. शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए अंत्योदय समावेशी विकास धारणीय विकास जनाधिक्य को जनांकिकी लाभांश में बदलने के लिए शिक्षा का विस्तार प्रत्येक भारतीय जन तक होना आवश्यक है। यही 'भारतीय जन' अंतिम व्यक्ति का उदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक प्रतिष्ठान का लक्ष्य है।

4. स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का त्याग कर दिया था। तथापि राजस्थान में वर्ष 2019 में फ्लैगशिप योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का नाम ही महात्मा गाँधी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय मानते थे, स्थानीय भाषाएँ हमारे खंडात्मक विभाजन को रोकती हैं और इन भाषाओं से हमारे सामाजिक अनुभव और राष्ट्र का इतिहास जुड़ा होता है। अत: भाषाई विविधता वाले भारत राष्ट्र में जहाँ 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता और 1600 से अधिक बोलियाँ हैं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी का एकाधिकार ना तो उचित है और ना आवश्यक।

तालिका भारत में शिक्षा का माध्यम

क्रम संख्या या कोटि (Rank)

भारत में विद्यालयी शिक्षा का माध्यम

भारत में प्रतिशत

1	हिंदी	42
2	अंग्रेजी	26.1
3	बंगाली	6.7
4	मराठी	5.6
5	शेष स्थानीय भाषाएं	19.6

Source - UNISE 2019-20 (nified District Information System for Education)

5. आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए वर्तमान में भारत कई आर्थिक चुनौतियों यथा - गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और क्षेत्रीय संतुलन से जूझ रहा है। इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए भारतीयता को केंद्र में रखने वाले दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचार उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, भारत के प्राचीन विश्वगुरु के पद की पुनर्प्राप्ति के लिए, संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति और एचडीआई मानकों में सुधार तभी आ सकता है जब हमारी शिक्षा नीति विदेशी अंधानुकरण से मुक्त होकर भारतीय परिस्थितियों एवं भारतीय सांस्कृतिक दर्शन के अनुरूप हो।

सुझाव

1. कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को त्याग कर विकास नहीं कर सकता है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का अंधानुकरण, हमारी सामाजिक संस्थाओं यथा संयुक्त परिवार, बाल वृद्ध पोषण और गुरु-शिष्य परंपरा की रक्षा नहीं कर सकता है।

2. शिक्षा न केवल व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक है, वरन समाज, पर्यावरण एवं राष्ट्र की उन्नति भी शिक्षा से ही साध्य है। शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार के साथ-साथ समाज, बड़े औद्योगिक घरानों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों सभी का है। इन सभी को अपने-अपने दायित्व का समुचित निर्वहन करना चाहिए।

3. सरकारों को शिक्षा पर होने वाले व्यय में कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा, जनसंख्या का मानव संसाधन के रूप में विकास करके आर्थिक विकास का माध्यम है। साथ ही नैतिक मूल्यों और चरित्र का निर्माण करके राष्ट्र एवं संस्कृति की रक्षा का साधन भी है।

4. शिक्षा से समाज को और राष्ट्र को अच्छे नागरिक और आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं। अत: शिक्षा केंद्र एवं राज्य सरकारों की और समाज का नैतिक दायित्व है। इसलिए विद्यार्थियों का न केवल शिक्षण शुल्क माफ हो, वरन विद्यालय में प्रवेश से लगाकर शिक्षा पूर्णता के पश्चात निकास तक सभी प्रकार का शुल्क माफ होना चाहिए।

5. शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और रोजगारोन्मुख शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आवश्यक अंग बनाते हुए इन्हें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य करना चाहिए। साथ ही राजकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पद रिक्त ना रहें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा से संबंधित विचारों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपर्युक्त विश्लेषण से हमें निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं -

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों (यथा- शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, रोजगार देने वाली शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा) को महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में सम्मिलित किया गया है।

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय दर्शन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था संबंधी बहुमूल्य विचार दिए हैं उनके विचार वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। क्योंकि समकालीन भारत के सामने धारणीय विकास, जनसंख्या लाभांश की प्राप्ति, जनाधिक्य को मानव संसाधन में बदलना, समावेशी विकास, सभी को रोजगार जैसी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए हमें भारतीयता को केंद्र में रखने वाली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।

3. वर्तमान भूमंडलीकृत विश्व में पाश्चात्य विचारों को पूर्णत: त्यागा नहीं जा सकता है। अत: उन्हें भारत के देशानुकुल करके और परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति को समयानुकूल करके अपनाना होगा।

4. भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई अर्थों में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली और भारतीयता को केंद्र में रखने वाली है। यह नई नीति देश में विद्यालयी और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा

डॉ. संजय सिंह पठानिया
अध्यक्ष, भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा पर विचार विमर्श करने से पहले हमें विशेष योग्यजन से संबंधित जानकारी होना जरूरी है। विशेष योग्यजन में वह व्यक्ति आते हैं जो कि शारीरिक रूप से विशेष हैं यानी जो व्यक्ति दिव्यांग हैं। विशेष योग्यजन को अंग्रेजी भाषा में डिसेबिलिटी शब्द से भी परिभाषित किया जा सकता है।

(डिसेबिलिटी) निर्योग्यता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। इसके लिए 'अशक्तता', 'नि:शक्तता' (विधि), 'अपंगता', अपांगता, दिव्यांगता आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। नई शिक्षा नीति में (एनईपी) 2020 जुलाई 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच को प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1986 में स्थापित और अंतिम बार 1992 में संशोधित किया गया। नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का भी एक कदम है। दिव्यांग होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी कार्य को कर नहीं सकते, बल्कि आप उस कार्य को एक अलग और विशेष प्रकार से कर सकते हैं। और भारत की नई शिक्षा नीति दिव्यांगों के लिए इसी सोच पर बल देती है।

हर वर्ष विश्व में 3 दिसंबर का दिन अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है इस दिन का विशेष उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है इस दिन दिव्यांगों के विकास, उनके कल्याण के लिए योजनाओं, समाज में उन्हें बराबरी के अवसर मुहैया करने पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। हर वर्ष दुनिया के तमाम देशों में 3 दिसंबर को दिव्यांगों के उत्थान तथा उनके स्वास्थ्य व सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 से 1992 को दिव्यांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की थी ताकि वह सरकार और संगठनों को विश्व कार्यक्रम में अनुशंसित गतिविधियों को लागू करने के लिए एक लक्ष्य प्रदान कर सके। इसके बाद 1992 से 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 76वें दौर (2018) : भारत में दिव्यांगता की व्यापकता 2.2 प्रतिशत है। आँकड़ों में पाया गया कि दिव्यांग की व्यापकता पुरुषों में महिलाओं से अधिक है पुरुषों में दिव्यांगता 2.4 प्रतिशत जबकि महिलाओं में 1.9 प्रतिशत है।

दिव्यांगजनों में से 28.8 प्रतिशत के पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र था दिव्यांगजनों में से 21.8 प्रतिशत को सरकार से सहायता या मदद प्राप्त हुई। और अन्य 76.4 प्रतिशत दिव्यांगजन को सहायता/मदद प्राप्त नहीं हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना सभी की

जिम्मेवारी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक दिव्यांग बच्चों समेत सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिले का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा देखा गया है कि दिव्यांग विद्यार्थी स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद दिव्यांग विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया गया है। नई शिक्षा नीति में इस तथ्य पर गौर किया गया है कि दिव्यांग बच्चों के दाखिले के बाद उन्हें स्कूल ना छोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहन के स्वरूप स्कॉलरशिप, परिवहन की सुविधा आदि दी जानी चाहिए। विशेष जन को स्कूलों में रिसोर्स सेंटर, सहायक उपकरणों, और स्पेशल एजुकेटर की सुविधा दी जाएगी क्योंकि इन सुविधाओं के अभाव में दिव्यांग स्कूल जाना बंद कर देते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गंभीर विकलांगताओं, लर्निंग और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षकों को बच्चों की विकलांगताओं को शुरुआती चरण में ही पहचान के लिए जागरूक बनाया जाएगा। इससे विकलांगता का नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरण में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षक शामिल है। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय शिक्षक ज्ञान और विषय-संबंधित उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपर्युक्त कौशल भी होने चाहिए। शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में अंशकालिक मिश्रित कोर्स, बहुविषक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराए जाएँगे।

शिक्षण संस्थानों एवं सभी पुस्तकालयों को आधुनिक बनाकर इस प्रकार सुसज्जित किया जाए कि दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट में पुस्तक में उपलब्ध हो जाए। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, यह नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण, उपर्युक्त तकनीक आधारित उपकरण और भाषा शिक्षण संबंधी व्यवस्था करने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है।

विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षकों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। अधिकांश कक्षा में ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट क्षमता होती है जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है आगे प्रकृति की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है कि दाखिलों में दिव्यांग विद्यार्थियों की अपेक्षा ना की जाए और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप फॉर्मेट में पाठ्य सामग्री उपलब्ध भी कराई जानी चाहिए।

शिक्षण संस्थानों एवं सभी पुस्तकालयों को आधुनिक बनाकर इस प्रकार सुसज्जित किया जाए कि दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट में पुस्तक में उपलब्ध हो जाए। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, यह नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण, उपर्युक्त तकनीक आधारित उपकरण और भाषा शिक्षण संबंधी व्यवस्था करने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा : सार्थकता एवं चुनौतियाँ

डॉ. विनोद कुमार शर्मा

(नैदानिक मनोवैज्ञानिक)
असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष,
स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग,
सिकामु विवि, दुमका (झारखण्ड)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 वर्षों के शोध अध्ययन से निर्मित एक बहुआयामी शैक्षणिक मॉडल जो कई उद्देश्यों को समेटे सर्वांगिक विकास की अनुशंसा करता है। एनईपी 2020 के अचेतन में जहाँ भारतीय जमीं के पारंपरिक 'गुरुकुल' के स्वरूप को, संस्कारों को, मर्यादाओं आदि को पुनः संरचित व स्थापित करना है वहीं चेतन स्तर पर ज्ञान, शोध व संस्कारों के सीमेंट से ढाल भारत को एक वैश्विक ज्ञान व कौशलों का महाशक्ति बनाना है। दुनिया को 'विश्वगुरु' बन दिखाना है। ऐसी परिकल्पनाओं के सफल सिद्ध होने का ताना-बाना भी संभवतः नई शिक्षा नीति में झलकता है। मगर सत्यता के शीर्ष को छूना, बुलंदियों के हिमालय पर चढ़ना बातें असंभव न सही मगर मुश्किलों का कैलाश पर्वत अवश्य दिखता है। समान्यीकरण के लिहाज से सैद्धांतिक बातों, आनुभविक विचारों का वर्तमान विसंगत, विषम व उदासीन शैक्षणिक वातावरण में अक्षरशः घटित होना बात उतना ही जटिल लगता है। एक ओर यह नई परिकल्पना को समर्थन करने वाला लगता है तो चुनौतियों की ओर इशारा भी करता है।

यह नई शिक्षा नीति वास्तव में 21 वीं सदी के लिए आवश्यक विकास के विभिन्न आवश्यकताओं व शर्तों के लिए संपूर्ण नीति है, अनुभव जनित सिद्धांत हैं जो न केवल देश के सामान्य बच्चों के समुचित शैक्षणिक विकास व रोजगारोन्मुखी जरूरतों को पूरा करने की गारंटी देता है बल्कि भारतीय नैतिक संस्कारों को उतना ही शिद्दत से महत्त्व देने वाली पॉलिसी भी है। यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पूर्व के दो 1968 व 1986 के शैक्षणिक सुधारों के बाद तीसरी अहम शिक्षा नीति हैं जो वैश्विक माँगों को पूर्ण करती है। लक्ष्य है भारत की शिक्षा प्रणाली को सिरे से बदलकर उसे उसकी पुरानी परिपाटी से बाहर लाना है। अर्थात् मौजूदा पाठ्यक्रमों व परंपरागत शैक्षणिक रीतियों में न केवल बदलाव हो तथा उन्हें (विशेषजनों को भी) गुणात्मक शिक्षा मिले बल्कि विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग, और प्रोब्लम हैंडलिंग स्किल्स की भी भरपूरता हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सार्थकता न केवल इस बात से है कि ये विद्यार्थियों को उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, रचनात्मक क्षमता विकसित करने व

व्यावसायिक कौशलों आदि का विकास करने की प्रतिबद्धता को दुहराता है बल्कि इस बात में भी है कि किस तरह उन्हें उच्च स्तर की तार्किक चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान करने वाला एक सफल व योग्य व्यक्ति बनाया जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों या विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास तो पूर्णरुपेण हो ही साथ ही नैतिक, व्यावहारिक, सामाजिक व भावनात्मक क्षमता का विकास होना भी उतना ही जरूरी बात हैं। एक तरह से देश के स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पटल पर आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान व अनुभवों का प्रादुर्भाव होना तो जरूरी है ही साथ ही देश के परंपरागत ज्ञान व अनुभवों को भी सम्मान देना व लोकप्रिय बनाना उतना ही आवश्यक है। लक्ष्य यह भी है कि विश्वविख्यात नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, आदि विश्वविख्यात शैक्षणिक संस्थानों के अनुभवों का लाभ भी यहाँ के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए जहाँ वो विश्व प्रसिद्ध संस्थानों से जन्मे विख्यात विद्वानों यथा चक्रपाणि, चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, पाणिनि, नागार्जुन, मैत्रेयी, गार्गी आदि की कृतियों व उपलब्धियों को जान सके और उस प्राप्त ज्ञान के आधार पर देश-दुनिया के लिए कुछ नवीन योगदान करने को अभिप्रेरित हो। प्रतिबद्ध हो। योजनाबद्ध हो। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाल मनोविज्ञान से लेकर स्वास्थ्य विज्ञान तक, सामान्य बच्चों से लेकर दिव्यांग बच्चों तक के कल्याण की बातें करता है। मानसिक क्षमता के अनुसार उसकी मातृभाषा में ही आरंभिक शिक्षा को जरूरी बनाना बच्चों के अन्य भाषायीक शिक्षण-प्रशिक्षण के तनावों से तो दूर रखता ही है साथ ही अभिभावकों के लिए परेशानियों व स्कूली दबावों से भी दूर करता है। दूसरी ओर दिव्यांग बच्चे अपनी मनोशारीरिक क्षमता में कमी के कारण विकास की मुख्यधारा से विपथ हो कुंठा का शिकार न हो, हीनता की भावना से ग्रसित न हो, अक्षमता आदि की आत्मग्लानि न हो और न ही जीवन को व्यर्थ समझे बल्कि वो भी आत्म निर्भर हो सफल एवं सक्षम तरीके से जीवन यापन करे, इस बात का ध्यान समुचित रूप से रखा गया है। स्कूलों में परामर्श सेवा एक अनिवार्य कड़ी है जहाँ बच्चों के तनावों व कुंठाओं को दूर कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिशा निर्देश देने का काम होगा। शैक्षणिक मार्गदर्शन देने का काम करेगा। उलझनों को, मानसिक द्वंद्वों को, भय आदि को दूर करने का मनोवैज्ञानिक परामर्श देने का भी काम होगा। साथ ही विशेष बच्चों के प्रति स्वास्थ्य व स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए योग व स्वच्छता प्रशिक्षण के प्रावधानों का होना नई शिक्षा नीति को चार चाँद लगाता है।

नई शिक्षा नीति पूर्व की शैक्षणिक नीतियों ने जहाँ 1974 से भारत सरकार ने ऐसे विशेष योग्यजनों को 'इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसबल्ड चिल्ड्रेन' (आई ई डी सी) स्कीम के तहत चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स (सी डब्ल्यू एस एन) को सामान्य बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ने का सुअवसर प्रदान किया।

ऐसे विशेष बच्चे नशा व अन्य बुरी आदतों का शिकार न हों, अभिभावकों के साथ बैठकें होना व उनके बताए सुझावों पर चलना इस नई शिक्षा नीति की विशेषता कही जा सकती है। नई शिक्षा नीति ने ऐसे बच्चों को सम्मानित जीवन जीने के लिए इसकी जागरूकता को जहाँ घर-घर पहुँचाया वहीं उसके जिला स्तर पर पुनर्वास को भी बढ़ावा दिया जिससे उसके अधिकारों का हनन न हो। सामुदायिक स्तर पर जहाँ जागरूकता का अभाव है वहीं पहाड़ी व सुदूर क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार के विशेष योग्यजनों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना व समुचित लाभ दिलाना चुनौती भरा कार्य होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) 'राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज' 2016 को अनुमोदित करते हुए समेकित शिक्षा को और भी ज्यादा समर्पित, लचीला एवं उपयोगी बनाने का उपाय सुझाया हैं जहाँ विशेष बच्चे शिक्षा व रोजगार की मुख्य धारा से जुड़कर अपना सर्वांगिक विकास कर सके व सुनियोजित जिंदगी जी सके। नई शिक्षा नीति जहाँ 5+3+3+4 के फार्मूलों के द्वारा समस्त शिक्षा नीति को दर्शाती है वहीं दिव्यांग या विशेष जनों के लिए भी स्पेशल शिक्षा के प्रावधानों को भी प्रमुखता से स्थान दिया है। विशेष जन या बच्चे वो हैं जो किसी न किसी प्रकार से मानसिक, तंत्रिका व शारीरिक रूप से निःशक्त होते हैं जो सामान्य बच्चों की तुलना में कमजोर व अक्षम होते हैं। ऐसे बच्चे सभी मानसिक विकलांगता (मेंटल डिसेबिलिटीज) के जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से मानसिक मंदता (एम आर), अटेंशन डीफिसिट हाइपर ऐक्टिव डिसॉर्डर (ए डी एच डी), सेरेब्रल पालसी (सी पी), आदि के साथ-साथ परवेसिव डेवलोपमेंट डिसॉर्डर (पी डी डी) के बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन (अस्पेर्गेर सिंड्रोम) कहे जाते हैं जिसके सामाजिक व संचार संबंधी विकार ज्यादा होते हैं। कुछ विशेष योग्यजन गुणसूत्र या न्यूरोलॉजिकल प्रोब्लम के कारण रेट सिंड्रोम, कैट क्राय सिंड्रोम से परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। साथ ही हियरिंग एडं विजुअल इम्पेयर्ड, डिफ एंड डंब बच्चे भी होते हैं जिनका स्पेशल स्कूलों में दाखिला दिला देखभाल किया जाता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के वास्ते शिक्षकों को स्पेशल ट्यूटर कहा जाता है जिन्हें भी किसी भी स्नातक के बाद ऐसे क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्पेशल एजुकेशन में

डिग्री या डिप्लोमा लेना अनिवार्य होता हैं। ऐसे बच्चों के उत्थान व पुनर्वास में नेशनल ट्रस्ट भी बढ़ चढ़कर संस्थाओं को मदद को हाथ बढ़ाती हैं। देश में ऐसे बहुत से संस्थान हैं जिसमें इग्नॉउ, मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी, निपीड (नोएडा) आदि प्रमुख संस्थान हैं जो ऐसे कोर्सेस का 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर एक या दो वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री देती है। साथ ही फील्ड प्रशिक्षण भी देती हैं। गैर-सरकारी संगठन-एडेप्त (स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई) के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 21 मिलियन बच्चे विशेष योग्यजन के श्रेणी में आते हैं जहाँ यूनेस्कों (2019) के स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक पाँच साल से कम उम्र के 75 प्रतिशत विशेष योग्यजन बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। भारत में जहाँ प्राथमिक स्तर के स्पेशल स्कूल 41576 और हाई स्कूल 579 है वहीं उन्हें पढ़ाने वाले भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षकों की अनुमानित संख्या 1,20,781 के करीब बताई जाती है। भारत में पहली दफा 1826 में राजा कालि शंकर घोषाल की अगुवाई में वाराणसी में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल स्कूल खोला गया। ऐसे सभी विशेष योग्यजनों को प्रथम नाम व पता लिखना सिखाया जाता है फिर उसे टास्क अनालिस् कराया जाता है। ऐसे बच्चे खेल खेलना भी पसंद करते हैं। देश में स्पेशल किस्म के प्रोब्लम के निवारण, शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए देश के कई महा नगरों में संस्थान भी बने हैं। निम्हासं, बांग्लूरु, सी आईपी, रांची, निपीड, नोएडा, सहित सेरेब्रल पालसी के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सेरेब्रल पालसी, कोलकाता आदि ऐसे ही संस्थान हैं।

ऐसे बच्चों की समुचित देखभाल व विकास हेतु परिवार को न केवल सामाजिक, आर्थिक, केयर आदि बर्डेन से गुजरना पड़ता है बल्कि प्राथमिक (संस्थान विशेष), द्वितीयक (परिवार) व टरसरी (समाज, एन जी ओ, आदि) के सहयोग की आवश्यकता के साथ प्रोपर ओक्युपेशनल रिहेबिलिटेशन के जरूरतों के राहों से भी गुजरना पड़ता है जहाँ जीवन यापन की योजनाओं के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ का मिलना एक उम्मीद की किरण होती है तो सहयोग के वास्ते बैंकों से ऋण मिलना दुर्लभ बात होती है। चुनौतियाँ यहाँ इस बात की है कि ऐसे दिव्यांग बच्चे को रोजाना एक ऐसा समर्पित व्यक्ति चाहिए जो न केवल उसकी जरूरतों पर ध्यान दे बल्कि अंडर सुपरविजन काम करने में भी मदद पहुँचाए। हियरिंग व विजुअल इम्पेयर्ड के बच्चे या डिफ् एडं डंब बच्चे अपना कॅरिअर बना कर सामान्य जीवन जी सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड, लर्निंग डिसेबिलिटी (LD) में आवश्यक सुधार के बाद वो बच्चे भी नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ परीक्षा देते हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होते हैं। ऐसे बच्चे नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑपन स्कूलिंग, न्यू दिल्ली के तहत 10 वीं की परीक्षा देते हैं। चुनौतियाँ इस बात की भी होती हैं कि चूंकि ऐसे बच्चे अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पाते हैं जिससे लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर बच निकलते हैं।

इस नवीन शिक्षा नीति में ऐसे विशेष जनों के लिए सुविधा की दृष्टि से स्कूलों में उसके देखरेख को एक शिक्षक के अलावा एक सहकर्मी होगा जो उसकी पूरी देखभाल करेगा। साथ ही ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जायेगी।

ऐसे विशेष बच्चे नशा व अन्य बुरी आदतों का शिकार न हों, अभिभावकों के साथ बैठकें होना व उनके बताए सुझावों पर चलना इस नई शिक्षा नीति की विशेषता कही जा सकती है। नई शिक्षा नीति ने ऐसे बच्चों को सम्मानित जीवन जीने के लिए इसकी जागरूकता को जहाँ घर-घर पहुँचाया वहीं उसके जिला स्तर पर पुनर्वास को भी बढ़ावा दिया जिससे उसके अधिकारों का हनन न हो। सामुदायिक स्तर पर जहाँ जागरूकता का अभाव है वहीं पहाड़ी व सुदूर क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार के विशेष योग्यजनों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना व समुचित लाभ दिलाना चुनौती भरा कार्य होता है। प्रसासनिक उदासीनता व लोगों की दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति भी इस दुराव भावना की आग में घी का काम करता है। ❑

विशेष योग्यजन व्यक्ति और समाजिक वातावरण

डॉ. दीक्षिता अजवानी
सहायक आचार्य - इतिहास,
केन्द्रीय संस्कृत
विश्वविद्यालय, दिल्ली,
जयपुर परिसर

विशेष योग्यजन वह व्यक्ति है जिनमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अक्षमता है जो उसे सामान्य दैनिक जीवन से जुड़े कार्य, बातचीत या गतिविधियों को करने या उनमें शामिल होने की क्षमता को बाधित या सीमित करती है।

विभिन देशों और शब्दकोशों में विशेष योग्यजनों की अलग अलग परिभाषाएँ और अवधारणाएँ हैं।

अलग-अलग समाज में विशेष योग्यजन व्यक्ति को अलग तरीके से देखा जाता है। अधिकांश विकसित देशों में बाधाओं को मानव जीवन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे समाज में ऐसी व्यवस्थाएँ की जाती हैं कि एक शारीरिक या मानसिक बाधा वाला व्यक्ति भी रोजमर्रा की हर गतिविधि में हिस्सा ले सके। इन जगहों पर अमूमन लोग यह मानते हैं कि स्थाई या अस्थाई रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में बाधा को कभी-न-कभी महसूस करता है। यही कारण है कि यहाँ विशेष योग्यजन व्यक्ति को एक सामान्य प्राकृतिक घटना की तरह देखा जाता है।

गैर-विकसित और कम पढ़े-लिखे समाज में शारीरिक या मानसिक अक्षमता को विशेष योग्यजन व्यक्ति की निजी समस्या के रूप में देखा जाता है। बहुत बार इसे ईश्वरीय दंड के रूप भी समझा जाता है।

भारत में ऐसे व्यक्ति को विकलांग माना गया है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत से कम विकलांगता का शिकार न हो।

विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार शारीरिक संरचना/ शारीरिक या मानसिक कार्यक्षमता में कोई खराबी या दुर्बलता, कार्यक्षमता में कमी जैसे देखने, चलने, सुनने, बोलने या समस्या को हल करने की क्षमता में कमी का होना, रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियों जैसे कि काम करने, सामाजिक या मनोरंजन गतिविधियों का हिस्सा होने या स्वाथ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाने में असमर्थ व्यक्ति को विशेष योग्यजन कहा जाता है। विकासशील विश्व के लगभग 400 करोड़ लोग विशेष योग्यजन हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 2.1 प्रतिशत लगभग 21 करोड़ लोग किसी न किसी शारीरिक या मानसिक बाधा से पीड़ित है। हालांकि 2001 से 2011 के बीच कुल जनसंख्या में बाधाओं का प्रतिशत में 0.8 प्रतिशत की गिरावट है। जिसमें ग्रामीण भारत के मामलों में यह 0.54 प्रतिशत है वहीं शहरी क्षेत्रों में 2001 से 2011 के बीच 1.31 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के आँकड़ों के आधार पर पूरे

देश में विशेष योग्यजन या (प्रति 100, 000 जनसंख्या पर विशेष योग्यजन की संख्या 2130 है। ये पुरुषों के लिए 2365 और महिलाओं के लिए 1874 है। यह छोटा आँकड़ा नहीं है और भारत जैसे देश में जहाँ कि वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना रचती बसती है वहाँ समाज के इस वर्ग को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। ये विश्व का वो अल्पसंख्यक वर्ग है जो स्वयं को मुख्य धारा से अलग थलग महसूस करता है। अवांछित होने का दंश झेल रहा है। समाज के प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव की वजह से विशेष योग्यजन के व्यक्तित्व में कमी आती है। वे आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व की हीनता की वजह से कुंठित होकर दुष्कर जीवन जीने को मजबूर होते हैं।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज का व्यापक अर्थ है इसमें व्यक्ति के चारो तरफ के लोग, परिवेश, वातावरण समस्त पहलू शामिल होते हैं। व्यापक समाज में रहकर ही व्यक्तित्व का विकास होता है, चरित्र निर्माण होता है, व्यक्ति की हर प्रकार की आवश्यकताएँ, भावनात्मक क्षमता और विचार शक्ति में वृद्धि होती है। समाज के कारण ही व्यक्ति को अपने विचार और भावनाएँ अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है ऐसे में विशेष योग्यजन के प्रति समाज की नैतिक जिमेदारी अधिक बढ़ जाती है। परन्तु देखा जाता है कि विशेष योग्य जन को समाज की सर्वाधिक सहायता की आवश्यकता होती है उस समय वो समाज से ही जूझ रहा होता है। इसमें बड़ी समस्या भावनात्मक हीनता है। अपनी कमियों के कारण इनमें हीन भावना होती है जो कि उनके समस्त जीवन व्यक्तित्व में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। वहीं इनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जो उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट को जन्म देता है यह स्थिति उन्हें मानसिक उत्पीड़न का शिकार बना कर अवसाद ग्रस्त कर देती है। विशेष योग्यजन वाक एवं अभिव्यक्ति, गरिमामय जीवन से दूर हो जाते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

इसमें भी विशेष योग्यजन महिलाओं की स्थति अधिक बुरी है, अक्सर यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। बौद्धिक बाधाओं से पीड़ित 25 प्रतिशत महिलाओं को बलात्कार जैसी हिंसा झेलनी पड़ती है। आत्मनिर्भर ना होना एक अभिशाप की तरह भोगती है, उनकी जिन्दगी जीते जी नरक के सामन हो जाती है। उन्हें बोझ की तरह समझा जाता है। वो स्वयं भी परिवार में खुद को बोझ ही मानती हैं। उनके परिवार से घोर उपेक्षा और अनादर झेलना पड़ता है। इससे आत्महत्या जैसी नकारात्मक प्रवृतियाँ उभरती हैं। विशेष योग्यजन लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर विशेष योग्यजन लड़कों की तुलना में अधिक है। विशेष योग्यजन लड़कियों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता नहीं माना जाता है। महिलाओं के लिए हिंसक स्थितियों से बचना अधिक मुश्किल हो सकता है। विशेष योग्यजन महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रभावी पदों पर अदृश्यता भी इन्हीं कारणों का परिणाम है।

अक्षमता किसी व्यक्ति का गुण नहीं होता, बल्कि स्थतियों का एक संग्रह है, जिनमें से बहुत समाजिक वातावरण द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए समस्या के प्रबंधन के लिए समाजिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में विशेष योग्यजनों की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक पर्यावरणीय संशोधन करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी माना जाता है। उनकी सुरक्षा और जनकल्याण मात्र उनका मुद्दा नहीं है। बल्कि यह समाजिक सरोकार है।

बाल्यकाल से ही जब व्यक्तित्व निर्माण की आधार शिला रखी जा रही होती है, तब जबकि संवाद के माध्यम से, खेलों के माध्यम से बच्चा सीखने की, जीवन को समझने की कोशिश करता है उस समय बोलने से बाधित विशेष योग्यजन बच्चा, सुनने से बाधित बच्चा समाज से, चलने से बाधित, अन्य बाधित योग्यजन बच्चा समाज में अपनी स्वीकारोक्ति चाहता है, वातावरण से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसे में शारीरिक या मानसिक अक्षमता संपूर्ण व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है, बहुत बार उनका बाल मन वस्तु स्थति समझने में असमर्थ होता है, यह अत्यधिक भयावह स्थति होती है। ऐसे में मानसिक बाधा से बाधित बच्चा बहुत बार समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वह आस पास के वातावरण में असहज महसूस करने लगता है तब समाज की भूमिका और बढ़ जाती है। इस समय विशेष योग्यजन व्यक्ति के

आस पास का वातावरण स्वस्थ रखना समाजिक दायित्वों के अंतर्गत होना चाहिए। शारीरिक या मनोवैज्ञानिक बाधाओं की विविधताओं के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत कार्यात्मक अंतर हो सकते हैं, परन्तु समाज के सभी लोगों को अपमानजनक दृष्टिकोण और सामाजिक बहिष्कार (जानबूझकर या अनजाने) को समझकर दूर करना चाहिए, बहुत बार लोग इसे पिछले जन्म का कर्मफल, ईश्वर का दिया दंड मान कर परिणाम भोगने को छोड़ दिया जाता है। इसे ईश्वरीय दंड के रूप में न मानकर विशेष योग्यजन व्यक्तियों की अन्य विशेषताओं, कार्यक्षमताओं को निखारने पर परिजनों के साथ स्कूल, महाविद्यालयों, समाज की भूमिका महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए।

विशेष योग्यजन के सामाजिक समावेशन और अनुकूल नीतियाँ बनाना और उनकी क्रियान्विति में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बल्कि यह समूचे समाज की साझा जिम्मेदारी है कि वो उनको सामान्य महसूस करवाएँ, स्वस्थ संवाद कायम करें और जो बाधाएँ हैं जैसे देखना, सुनना, बोलना, चलना इत्यादि को लेकर उन्हें बाधित बताकर हीनता उत्पन्न न करे। बल्कि उन्हें वो सामाजिक वातावरण दे जिससे वो सुरक्षित अनुभव करते हुए आसानी से काम कर सकें। समाज को, बाधाओं को यथासंभव दूर करना और विशेष योग्य जन के लिए समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। जिनमें नौकरी में आरक्षण, विद्यालय, कॉलेज और यातायात साधनों में आरक्षण, अवरोध मुक्त वातावरण, ऐसा वातावरण जहाँ हर कोई सचेतन रूप से एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनता और समझता है। विशेष योग्यजन व्यक्तियों को (समान अवसर, अधिकारो की सुरक्षा तथा संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1966 की अनुपालना प्रमुख है।

विशेष योग्यजन व्यक्तियों का समाज में योगदान और समाज के आर्थिक मूल्य जोड़ने की क्षमता को सही से आँकना और अन्य लोगों की तरह समान अधिकार और समान रूप से सुविधाएँ और अवसर प्रदान करना सरकार के साथ-साथ सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए। स्कूल कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं में उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप विभिन्न कार्यों में संलग्नता होनी चाहिए जिससे वो शारिरिक या मानसिक हीनता के भाव से बच सकें, इससे आस पास के लोगों की, परिवार की, शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि वो उनके अन्दर की कोई अन्य विशेषता, योग्यता को पहचान कर उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को स्थापित करवाए। उनके लिए पर्याप्त विकल्पों की व्यवस्था भी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्हें अवसरों की, उपलब्धियों आदि की जानकारी दे। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति देखने से बाधित हो, तो उसे ब्रेल लिपि में शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है, चलने या हाथ से काम करने में बाधित व्यक्ति को नई तकनीक की जानकारी, धन से सहायता कर उसके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनके अनुसार शिक्षा पाठ्यक्रम, बाजार पब्लिक स्थानों पर व्यवस्था की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे यह अहसास न करवाया जाए कि उसके लिए जीवन के सब रास्ते बंद होते हैं बल्कि उसे प्रोत्साहित करके, मार्ग बता कर, यथोचित धन की व्यवस्था करके उनकी जिन्दगी को खुशहाल बनाया जा सकता है यही नहीं उनकी अन्य क्षमताओं से लाभ लिया जा सकता है, हीनता की विभिन्न प्रकार की बाधाएँ, उनकी जरूरतें और क्षमताओं के बारे में जागरूकता / जानकारी हेतु कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें समाज के शिक्षक, चिकित्सक, सिविल अधिकारी, वकील, रोजगार अधिकारी, सामान्य जन और स्थानीय नेताओं की सहभागिता होनी चहिए। जिससे विशेष योग्यजन को समाज की मुख्य धारा में समावेशन हेतु पर्याप्त अवसर, सरकारी नीतियों की समुचित जानकारी मिल सके। अन्य कार्यक्रम जैसे उनकी क्षमताओं के आधार पर कौशल विकसित करने के लिए सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि होने चाहिए।

इसी के साथ समाजिक मॉडल अपनाए जाने की आवश्यकता है जिससे इसमें विशेष योग्यजन व्यक्ति को एक समाजिक रूप से निर्मित समस्या और समाज में व्यक्तियों के पूर्ण एकीकरण के मामले के रूप में देखा जाता है। इसके अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति का गुण नहीं होता, बल्कि स्थतियों का एक संग्रह है, जिनमें से बहुत समाजिक वातावरण द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए समस्या के प्रबंधन के लिए समाजिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में विशेष योग्यजनों की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक पर्यावरणीय संशोधन करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी माना जाता है। उनकी सुरक्षा और जनकल्याण मात्र उनका मुद्दा नहीं है। बल्कि यह समाजिक सरोकार है।

उपर्युक्त योजनाएँ व उनके उन्नयन और कार्यान्वयन हेतु धन उपलब्ध कराना या धन उपलब्ध कराने का स्रोत प्रदान करवाना चाहिए। समाज की मुख्य धारा में सामाजिक समावेशन उपर्युक्त माध्यम से होना चाहिए। जिससे विशेष योग्यजन व्यक्ति सहज समान्य जीवन आनद पूर्ण, सुखमय जीवन बिता सके। और समाज को अपना सकारात्मक योगदान देकर खुदका स्वाभिमान सशक्त कर सकें साथ ही राष्ट्र को भी सुदृढ़ करें। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष योग्यजन शिक्षा

डॉ. ममता जोशी
हिंदी साहित्य,
ऐश्वर्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मोहनलाल सुखाड़िया
विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास और उत्थान की रीढ़ होती है – किसी भी राष्ट्र के सर्वांगिण विकास के लिए और उसे राष्ट्र में निवासरत समाज के उत्थान के लिए उस राष्ट्र की शिक्षा नीति का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। प्राचीन भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण पद्धति के ही कारण भारत विश्वगुरु रहा और इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। यही कारण रहा कि इस देश पर शक, हूंण, कुषाण, मुगल व अंग्रेजों ने कई आक्रमण किये और असफल रहे। धूर्त अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा नीति को समझा और उसे तहस-नस करने का निश्चय किया और यह कार्य लार्ड मैकाले ने बड़ी योजना बद्ध तरीके से किया। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में दिये अपने भाषण में कहा था कि भारत को अगर गुलाम बनाए रखना है तो वहाँ की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करना होगा। 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन तो हो गया परंतु शिक्षा नीति में कोई बदलाव देश की आत्मा के अनुरूप नहीं किया गया। शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्र से जोड़ने और राष्ट्राधारित बनाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में आत्मनिर्भर युवाशक्ति, विशेष योग्यजन, जनजातीय क्षेत्र के बच्चे आदि वर्तमान कानून तथा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद असमानताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिभेदों का सामना करना पड़ रहा है। जो न्यायोचित, निष्पक्ष और असमरसतापूर्ण है। नए भारत की नींव

इस नई शिक्षा नीति में विशेष योग्यजन के लिए क्रास विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए एक सक्षम तंत्र बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलावों के साथ मंजूरी दी है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था लगभग 35 वर्षों के अंतराल के बाद भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षामंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने राष्ट्र प्रथम के चिंतन को केंद्र में रखकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। नई शिक्षा नीति की नींव में प्रथम बार राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि भारत की संस्कृति और मातृभाषा को शिक्षा का आधार माना गया और समग्रता में व्यक्तित्व विकास से शिक्षा को जोड़ने का उपक्रम किया गया। नई शिक्षा नीति में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव है जिसमें गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में मातृभाषा संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।

शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएँ निहित होती है। नई शिक्षा नीति भारतीय जीवन मूल्य पर आधारित होने के साथ-साथ भारतीय परंपराओं भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन पुनर्स्थापना एवं प्रसार पर जोर देती है, जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली तथा आत्मनिर्भर देश बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी।

विशेष योग्यजन हेतु प्रावधान -

इस नई शिक्षा नीति में विशेष योग्यजन के लिए क्रास विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए एक सक्षम तंत्र बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में दिव्यांग विकलांग छात्र-छात्राओं, की एक बड़ी संख्या है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना भी सरकार का दायित्व है इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति शिक्षण सामग्री और आधारभूत ढाँचा तैयार करने पर बल देती है।

इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा रोड मैप भी तैयार किया गया है जिसमें नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है करीब 75 प्रतिशत प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य है इसी प्रकार बचे वह प्रावधान भी वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएँगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है, जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति के अमल पर हर साल समीक्षा करेगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज भारत ज्ञान विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प संकल्पित किया जा चुका है ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रभावी होगी और यह नए भारत की नींव सिद्ध होंगी। ❑

उच्च शिक्षा और विशेष योग्यजन

प्रो. नंद किशोर
आचार्य,
केंद्रीय विश्वविद्यालय,
हरियाणा

शिक्षा मानव समाज के समग्र विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है रबीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार – ''सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि सम्पूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।'' सामंजस्य–व्यक्ति का, समाज का, संस्कृति का होता है, सभी के लिए शिक्षा, शिक्षा के लिए सभी। विद्यालयी शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा द्वारा समाज में जागरूकता और विशेषज्ञता आती है। विशेष योग्यजन जिन्हें हम विकलांग या दिव्यांगजन के नाम से भी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता– ''किसी व्यक्ति के लिए सामान्य तरीके से या किसी सीमा के भीतर गतिविधि करने की क्षमता के अभाव या कमी (किसी कमी के कारण) है''। – जिनमें विकलांग, अंधा, मूक, लोहेरिंग आदि शामिल हैं, उच्च शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास में योगदान आवश्यक हैं। इस लेख में उच्च शिक्षा के महत्त्व, विशेषयोग्यजनों के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार, और समाज में उनके सामाजिक समावेश के बारे में विचार किया गया है।

उच्च शिक्षा का महत्त्व

शिक्षा मानव जीवन के सभी पहलुओं के लिए महत्त्वपूर्ण है, और उच्च शिक्षा इसका महत्त्वपूर्ण प्रतिफल है। यह निम्नलिखित कारणों से महत्त्वपूर्ण है –

ज्ञान और समझ : उच्च शिक्षा से विद्यार्थियों को विशिष्ट ज्ञान और समझ प्राप्त करने का मौका मिलता है, जो उन्हें समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार करता है। उच्च शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है।

समृद्धि और रोजगार : उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करने का मौका देती है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। जैसे – इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक आदि।

समाज का विकास : उच्च शिक्षा के माध्यम से, समाज के विकास में भागीदारी करने के लिए अधिक गुणवत्ता वाले पेशेवरों का निर्माण होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होता है।

आत्म–समर्पण : यह विद्यार्थियों को आत्म–समर्पण और संघर्ष की भावना देती है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्त्वपूर्ण गुण मिलते हैं।

उच्च शिक्षा का यह महत्त्व समझा गया है और इसकी आवश्यकता को पहचानने के लिए सरकारें और समाज ने कई कदम उठाए हैं।

विशेषयोग्यजन और उच्च शिक्षा

विशेषयोग्यजनों के लिए उच्च शिक्षा के अधिकार का मामला बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन व्यक्तियों को समाज में सामाजिक समावेश और समान अवसर प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा का सही रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

1. शिक्षा के प्रति अधिकार : सभी विशेषयोग्यजनों को शिक्षा के प्रति समान अधिकार होने चाहिए। सरकार उनके लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करती हैं, जैसे कि विशेष शिक्षा केंद्र, शिक्षा में तकनीकी सुधार, और विशेष शिक्षा योजनाएँ, समाज की मुख्यधारा में उनको शामिल करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

2. विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण : विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों की आवश्यकता है, जो विशेषयोग्य छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें शिक्षा में सहायक होते हैं। विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

3. विशेष योग्यता कार्यक्रम : उच्च शिक्षा संस्थानों को विशेष योग्यता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जिनमें विशेषयोग्यजन अपनी क्षमताओं के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं और साथ ही साथ वह अपनी क्षमता के अनुसार कुछ हस्तकला, शिल्पकला, चित्रकारी, मूर्तिकला भी सीख सकते हैं।

उच्च शिक्षा तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समाज को इनकी शिक्षा के प्रति सजग और समर्थ बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए सरकार, समाज, और शिक्षा संस्थानों को साझा संकल्प और सहयोग की आवश्यकता होती है। विशेषयोग्यजन के लिए शिक्षा प्राप्त करने का सही अवसर और संरचना प्रदान करने से ही हम समाज को सशक्त, समर्थ, और सामाजिक न्याय के साथ सबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें उनकी अधिकारों का समर्थन करने और उनकी शिक्षा के प्रति समर्थन करने के लिए सामाजिक संकल्प और प्रयास करने की आवश्यकता है।

4. भविष्य की योजना : विशेष-योग्यजनों के भविष्य की योजना बनाने में सामाजिक संगठन और सरकार सहायक होती है। सभी विद्यालय भवन, पुस्तकालय और प्रशासनिक ब्लॉक को रैंप के माध्यम से जोड़ा जाना आवश्यक है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों का पता लगाना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को वित्तीय लाभ प्रदान करने वाली एजेंसियाँ सूचीबद्ध किया जाए। छात्रावास का एक विशेष शाखा विशेष व्यायामशाला, मनोरंजक उपकरणों और विशेष शौचालय जैसी सुविधा से सुसज्जित होनी चाहिए। मौजूदा भवनों और पुस्तकालयों में विशेष शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए।

5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया जो दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकार एवं सम्मान हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित करता है, इस अधिनियम के तहत दिव्यांग या विकलांग लोगों को सरकारी व गैर-सरकारी सभी योजनाओं, लाभों में आरक्षण दिया जाता

है। जैसे – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु 4 प्रतिशत सीट आरक्षित होती है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेषयोग्यजनों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सरकार सार्वजनिक और निजी संस्थानों में विशेषयोग्यजनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृति प्रदान करेगी। बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रोद्योगिकी का निर्माण और विकास करेगी। भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करेगी।

विशेषयोग्यजन के लिए उच्च शिक्षा के माध्यम से कई लाभ होते हैं –

1. स्वावलंबन और स्वाभिमान : उच्च शिक्षा द्वारा, विशेषयोग्य छात्रों में स्वावलंबन और स्वाभिमान, आत्म-समर्पण की भावना विकसित होती हैं, जिससे उन्हें स्वयं पर निर्भर होने की अनुभूति होती है। निर्भरता से हमारा तात्पर्य- व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक निर्भरता है, जब एक विशेषयोग्यजन छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो स्वावलम्बी और स्वाभिमानी बनता है जो उसके लिए आवश्यक भी है।

2. समाज में समावेश : उच्च शिक्षा द्वारा, विशेषयोग्यजन समाज में समावेश और समाज में अधिक भागीदारी करने के लिए तैयार होते हैं। समाज में समावेश से हमारा मानना यह है कि सभी को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना, जब विशेषयोग्यजन उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में समावेशित होते हैं ।

3. रोजगार के अवसर : उच्च शिक्षा के बाद, विशेषयोग्यजन छात्रों के पास अधिक रोजगार के अवसर होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सफल रोजगार पाने में विकलांग स्नातकों की भी सहायता कर रही है और इस संबंध में इस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ कुछ सरकारी संस्थानों के संपर्क में है। जागरूकता कार्यक्रम के भाग के रूप में, स्वयंसेवकों के माध्यम से, उन समस्याओं के साथ छात्रों के संपर्क में भी है, जो उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विशेषयोग्यजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

4. समाज के लिए योगदान : विशेषयोग्यजन के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और विशेषज्ञता का समाज में योगदान करने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में विकास होता है। जिससे उन्हें समाज में समावेश और समाज के विकास में योगदान करने का मौका मिलता है। इसके परिणामस्वरूप, विशेषयोग्य छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का महत्त्व अत्यधिक है और समाज के विकास में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

निष्कर्ष :

विशेषयोग्यजन के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समाज को इनकी शिक्षा के प्रति सजग और समर्थ बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए सरकार, समाज, और शिक्षा संस्थानों को साझा संकल्प और सहयोग की आवश्यकता होती है। विशेषयोग्यजन के लिए शिक्षा प्राप्त करने का सही अवसर और संरचना प्रदान करने से ही हम समाज को सशक्त, समर्थ, और सामाजिक न्याय के साथ सबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें उनकी अधिकारों का समर्थन करने और उनकी शिक्षा के प्रति समर्थन करने के लिए सामाजिक संकल्प और प्रयास करने की आवश्यकता है। ❑

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विशेष योग्यजन

डॉ. पप्पू लाल गुप्ता
आचार्य - भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय आंधी,
जयपुर (राज.)

संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेनद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में ''नि:शुल्क और अनिवार्य'' शब्द सम्मिलित हैं। 'नि:शुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे? जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तररदायी नहीं होगा। 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढाँचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है।

आरटीई अधिनियम निम्न लिखित का प्रावधान करता है -

- किसी पड़ौस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार।
- यह स्पष्ट करता है कि 'अनिवार्य शिक्षा' का तात्पर्य छह से चौदह आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की उचित बाध्यता से है। 'नि:शुल्क' का तात्परर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह गैर-प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। यह नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों

और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।

- यह, अन्यों के साथ-साथ, छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदण्डों और मानकों को निर्धारित करता है।

- यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाए प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है, इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी-ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह दसवर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधान सभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर-शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है।

- यह उपर्युक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है अर्थात् अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक।

- यह (क) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न; (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएँ; (ग) प्रति व्यक्ति शुल्क; (घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और (ङ) बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है।

- यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केन्द्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून

यह अधिनियम बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 6 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को RTE Act 2009 के तहत नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हर किसी मानव का शिक्षित होना अतिआवश्यक है इसलिए सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया था तथा RTE Act 2009 को 1 अप्रैल 2010 को पारित कर दिया गया था। यह अधिनियम बच्चों की शिक्षा से सम्बंधित बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 आयु के देश के सभी बच्चों को नि:शुल्क (मुफ्त) में शिक्षा पढ़ाई जाएगी।

इस अधिनियम (एक्ट) के जरिये देश के असंगठित वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे भी अब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इस अधिनियम में देश की कितनी भी प्रकार की जाति या धर्म के बच्चे हो उन सब को शामिल किया जायेगा। इस अधिनियम के तहत अब देश में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा सबको शिक्षित होने का अधिकार मिलेगा। देश में जब यह अधिनियम लागू होगा तब हमारे देश का नाम भी विश्व के 135 देशों की श्रेणी में आ जायेगा। आपको बता दें कि RTE Act 2009 में 38 धाराएँ तथा 7 अध्याय है। RTE Act 2009 में जम्मू-कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 में देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 86वाँ संविधान संसोधन 2002 को Modified (संसोधित) कर दिया गया था।

आदर्श रूप से, सभी छात्रों को अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त होगी। एसपीईडी सहायता की आवश्यकता वाले संदिग्ध बच्चे को आमतौर पर स्कूल में विशेष शिक्षा समिति के पास भेजा जाएगा। माता-पिता, शिक्षक या दोनों विशेष शिक्षा के लिए रेफरल बना सकते हैं। माता-पिता को सामुदायिक पेशेवरों, डॉक्टरों, बाहरी एजेंसियों आदि से कोई आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए और यदि स्कूल जाने से पहले बच्चे की विकलांगता के बारे में पता हो तो स्कूल को सूचित करें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लाभ एवं विशेषताएँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लाभ एवं विशेषताएँ निम्न प्रकार से नीचे बताई गयी है।

- राइट टू एजुकेशन को संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत देश के सभी बच्चों को मुफ्त (नि:शुल्क) में शिक्षा दी जाएगी।

- RTE 2009 अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षित किया जायेगा। जो कानून समवर्ती सूची का विषय है वो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत है। तथा इनमे कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र सरकार को होता है। 1990 में राम मूर्ति समिति की जो रिपोर्ट आयी थी वह रिपोर्ट भी शिक्षा के अधिकार की प्रथम ऑफिसियल डाक्यूमेंट्स थी।

- शिक्षा अधिकार अधिनियम संसद में 4 अगस्त 2009 में संशोधित किया गया था। RTE Act 2009 में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर 1 अप्रैल 2010 में देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। तथा यह अधिनियम भी मौलिक अधिकार में शामिल हो जायेगा तथा हमारे देश का नाम भी विश्व के 135 देशों की

श्रेणी में आ जायेगा। इस अधिनियम के तहत अन्य जानकारियाँ भी साझा की जाती है जैसे - राज्य एवं केंद्र की वित्तीय जिम्मेदारी आदि।

- RTE Act 2009 के तहत यदि कोई बच्चा दिव्यांग है जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आता है तो अधिनियम के तहत बच्चों की उम्र को 14 से 18 तक बढ़ा दिया गया है। RTE Act 2009 के अंतर्गत आप किसी भी बच्चे को मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं यह अपराध (निषेध) माना जायेगा। इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को विद्यालयों में मुफ्त (नि:शुल्क) में शिक्षा प्रदान की जाएगी और यदि कोई स्कूल या व्यक्ति पढ़ाने के स्थान पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आपसे महँगी फीस या फीस लेता है तो इस स्थिति में उसे दंड दिया जायेगा और विद्यालय को 10 गुना फीस का भुगतान करना पड़ेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य निम्न प्रकार है -

- बच्चों के लिए केंद्रित शिक्षा प्रणाली की शुरुवात भी RTE Act 2009 के अंतर्गत की गयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कुछ नियम भी हैं इसमें जो भी अध्यापक स्कूल में पढ़ाएंगे वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यदि कोई बच्चा विकलांग है और वह स्कूल पढ़ता है, उस बच्चे के लिए आयु को 14 से 18 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आप किसी बच्चे को शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न में तनावहीन नहीं कर सकते है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में इसलिए पारित किया गया है ताकि देश के प्रत्येक क्षेत्र के 6 से 14 आयु के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है असंगठित क्षेत्र में आते हैं उनको अधिनियम के तहत मुफ्त में शिक्षा प्राप्त हो सके और अपने जीवन का विकास कर सके। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते उनको शिक्षित होने का मौका नहीं मिल पाता है परन्तु अब RTE Act 2009 के तहत हर बच्चा अपनी शिक्षा को पूरा करने में समर्थ हो पायेगा।
- इस अधिनियम के तहत कोई स्कूल बच्चे या बच्चे के माता-पिता से कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू लेते हैं तो उस स्कूल को दंड भुगतना पड़ेगा उसे 25 हजार का भुगतान करना पड़ेगा। यदि भुगतान करने पर वह विद्यालय फिर से वह गलती करता है तो उसे 25 हजार के जुर्माने के बदले 50 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा। अधिनियम के तहत जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार द्वारा उनको नि:शुल्क पढ़ाया जाएगा।

विशेष योग्यजन शिक्षा

विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को अक्सर ऐसी सहायता की आवश्यकता होती है जो नियमित स्कूल/कक्षा सेटिंग में आमतौर पर दी जाने वाली या प्राप्त की जाने वाली सहायता से कहीं अधिक होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिक्षा मौजूद है कि सभी छात्रों की शैक्षिक जरूरतें पूरी हों। इसका मतलब यह है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सेवाएँ, सहायता, कार्यक्रम, विशेष प्लेसमेंट या वातावरण माता-पिता को बिना किसी कीमत पर प्रदान किए जाते हैं। विशेष शिक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन छात्रों में इनमें से कोई भी विकलांगता है, वे बिना विकलांग छात्रों के साथ शिक्षा में भाग ले सकें और जब भी और जितना संभव हो पाठ्यक्रम तक पहुँच सकें।

आदर्श रूप से, सभी छात्रों को अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त होगी। एसपीईडी सहायता की आवश्यकता वाले संदिग्ध बच्चे को आमतौर पर स्कूल में विशेष शिक्षा समिति के पास भेजा जाएगा। माता-पिता, शिक्षक या दोनों विशेष शिक्षा के लिए रेफरल बना सकते हैं। माता-पिता को सामुदायिक पेशेवरों, डॉक्टरों, बाहरी एजेंसियों आदि से कोई आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए और यदि स्कूल जाने से पहले बच्चे की विकलांगता के बारे में पता हो तो स्कूल को सूचित करें।

अन्यथा, शिक्षक आम तौर पर छात्र की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना शुरू कर देगा और किसी भी चिंता को माता-पिता को बता देगा जिसके कारण स्कूल स्तर पर विशेष आवश्यकता समिति की बैठक हो सकती है। जिस बच्चे को विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए विचार किया जा रहा है, उसे यह निर्धारित करने के लिए अक्सर मूल्यांकन या मनोवैज्ञानिक परीक्षण (फिर से यह शैक्षिक क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है) प्राप्त होगा कि क्या वे विशेष शिक्षा प्रोग्रामिंग/समर्थन प्राप्त करने के योग्य हैं। हालाँकि, किसी भी प्रकार का मूल्यांकन/परीक्षण करने से पहले, माता-पिता को सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

एक बार जब बच्चा अतिरिक्त सहायता के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना/कार्यक्रम (आईईपी) विकसित किया जाता है। आईईपी में लक्ष्य, उद्देश्य, गतिविधियाँ और बच्चे को उनकी अधिकतम शैक्षिक क्षमता तक पहुँचने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सहायता शामिल होगी। इसके बाद हितधारकों के इनपुट के साथ आईईपी की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाता है। ❑

आखिर क्यों?... मनोवैज्ञानिक दबाव में आत्महत्या

डॉ. नसीब कुमार
सहायक प्रोफेसर,
एम.एन.एस राजकीय
महाविद्यालय,
भिवानी (हरियाणा)

कहीं मासूम बच्चे, कहीं लाचार बूढ़े, कहीं मजबूर महिला, कहीं मानसिक दबाव में विद्यार्थी, कहीं काम के बोझ से नौकरी पेशा, कहीं ख्याति पाने की होड़ में अभिनेता, कहीं व्यापारी, कहीं मजदूर, कहीं पारिवारिक लोग तो कहीं बेरोजगार युवा वर्ग... सभी जगह लोग आज आत्महत्या जैसे जघन्य कृत्य को अंजाम दे रहे हैं... सोचनीय ??? कहाँ जा रहे हैं हम?? अंजाम क्या होने वाला है दुनिया का?? ये सभी सवाल मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करते हैं। आज लोगों के व्यवहार में मानसिक परेशानियों जैसे रोगभ्रम के साथ-साथ डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, अवसाद/डिप्रेशन तथा आत्महत्या की प्रवृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि मानसिक रोग ना जाति देखते हैं, ना धर्म, ना गरीब देखता है ना अमीर, ना बच्चा और ना ही बड़ा। ये रोग हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन कभी किसी का भला नहीं कर सकते। देश में हर वर्ष एक के बाद एक करके हजारों की संख्या में लोग मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या कर के अपनी जान गवां देते हैं।

सोचने वाली बात यह है कि आज दुनिया मे बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं। अपने मन पसंद या जरूरत के कार्य पूरे ना होने पर व्यक्ति के अन्दर नकारात्मक भाव या विचारों का जन्म होता है। जिसके कारण तनाव बढ़ता है, तनाव की वजह से कुंठा बढ़ती है। कुंठा हमारे शरीर में अन्य कई प्रकार के आंतरिक रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है परिणाम स्वरूप व्यक्ति को चिंता, घबराहट, डर, तनाव, रोगभ्रम तथा अवसाद जैसी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से कोरोना लॉकडाउन ने बहुत से लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि लोग चाहकर भी अपनी पसंद या जरूरत के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जिससे उनके मानसिक स्तर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

आज का दौर बहुत ही तेज गति से अपने कदम बढ़ा रहा है जिसमें दुश्चिंता, तनाव, मनोविषाद, आत्म-हत्या विचार के साथ-साथ और भी बहुत सारी मानसिक समस्याएँ हमारे समाज में देखी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके शिकार समाज के बड़ी आयु के व्यक्ति ही हैं बल्कि किशोर आयु के बच्चे इसके शिकार ज्यादा नजर आते हैं। उम्र की यह अवस्था बच्चों में बहुत सारे मानसिक व शारीरिक बदलाव लेकर आती है। जिसके कारण कई बार बच्चे अपने मन व शरीर में होने वाले बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बना पाते और मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएँ आज हर कदम पर देखी जा सकती हैं। ऊपर से माता-पिता की उच्च स्तर की उम्मीदें जिसमें उनका बच्चा हर स्तर पर हमेशा

अव्वल दर्जा हासिल करे। जब बच्चा माता-पिता की ऐसी इच्छा पूर्ण नहीं कर पता है तब उसके अन्दर हीन भाव जन्म लेने लगते हैं और बच्चा अपनी क्षमताओं पर अपना नियन्त्रण खोने लगता है। हर वक्त उसके पवित्र मन में माता पिता व अध्यापक की डांट फटकार का डर घर करने लगता है।

सबसे पहले माता-पिता को ये मानना होगा कि बच्चों की जिन्दगी उनकी अपनी जिन्दगी है। बच्चे जैसा चाहें उसे जी सकते हैं। सही व गलत में फर्क बताना माता-पिता का अधिकार होता है और वो होना भी चाहिए। बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे ये बातें माता-पिता द्वारा बच्चों पर ही छोड़ देनी चाहिए। खुद की रुचि से किया गया कार्य उन्हें ऊचाइयों तक लेकर जायेगा और दबाव के साथ थोपा गया कार्य उन्हें चिंता, दबाव, डर, अवसाद व आत्मग्लानि, हत्या की तरफ लेकर जायेगा। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हो। जब जब किसी राज्य में शिक्षा बोर्ड परीक्षा का परिणाम आता है तब-तब बहुत सारे विद्यार्थी चिंता, दबाव, डर, अवसाद व आत्म हत्या तक करते पाये जाते हैं जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। प्रतियोगिता परिक्षा की तैयारी करवाने वाले देश के बड़े-बड़े संस्थानों में भी इस प्रकार की घटनाएँ हर रोज देखी जा सकती हैं। जहाँ बच्चों पर कार्य दबाव तथा माता-पिता द्वारा बच्चे के अव्वल स्थान प्राप्त करने की उम्मीद ऐसा कदम उठाने को मजबूर कर देती है।

एक बात मैं इस उम्र के उन किशोर विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि आप ना कहना सीखें। जो काम आप नहीं कर सकते उसे ना कहें तथा जो कुछ भी आपको बुरा लगे उसे ना कहें। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आत्म हत्या किसी बात का हल नहीं है। जब-जब आप मानसिक परेशानी महसूस करें तब तब अपने माता पिता के साथ, भाई-बहन के साथ, मित्रों के साथ तथा अध्यापकों के साथ अपने मन की बातें साझा कीजिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियाँ समाप्त होंगी, कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे जीने के सलीके तो सिखोगे ही साथ ही साथ आपका आत्म-सम्मान भी बढ़ेगा।

सकारात्मक विचार हमारे दिमाग में डोपामाइन व नोरईपाइनफराईन जैसे रासायनिक द्रव्य की सक्रियता को बढ़ाते हैं जिस से व्यक्ति को खुशी व आनंद की अनुभूति होती है। सकारात्मक सोच के कारण मेटाबॉलिज्म संतुलित होता है जिसके कारण मनोविकार उत्पन्न नहीं होते हैं। सकारात्मक सोच तनाव को ऊर्जा में परिवर्तित करके व्यक्ति की ताकत बना देती है जिससे व्यक्ति हर काम को खुशी-खुशी करने के लिए आतुर होते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का नूर होता है जो उसकी सफलता का सूचक होता है।

समझने वाली बात यह है कि आज हमारा ज्ञान तो बढ़ रहा है किन्तु बोध पूरी तरह खत्म होता जार रहा है। इंसान के चले जाने के बाद उसके महत्त्व का रोना रोने से अच्छा है कि हम अपने जीवित रिश्तों को लेकर सजग रहें। हमें अपने सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को पुनर्जीवित करना होगा ताकि हम अपने इंसान होने के महत्व को समझ सकें। इंसान का शारीरिक व आर्थिक रूप से सम्पन्न होना ही सब कुछ नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती भी इंसान के लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए शरीर क्रियात्मक पहलू के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक व सामाजिक पहलू को तरजीह देना भी अनिवार्य हो जाता है। हमारी गलत दिनचर्या का प्रभाव हमारी शारीरिक व मानसिक स्थिति को बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर रहा है। जब हर जगह से रिश्तों का तार टूटता है, तब जीवन रूपी वीणा से सांसों का राग भी छूट जाता है।

आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल लोग किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। एक न एक दिन जाना तो सबको होता है.. लेकिन इस तरह से चले जाना.. बहुत दुखद अहसास होता है, उनके चाहने वालों के लिए, परिवार के लिए। आत्महत्या करना किसी के भी जीवन में मौत का सब से वीभत्स रूप होता है। यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जाने वाला तो चला जाता है लेकिन वह अपने

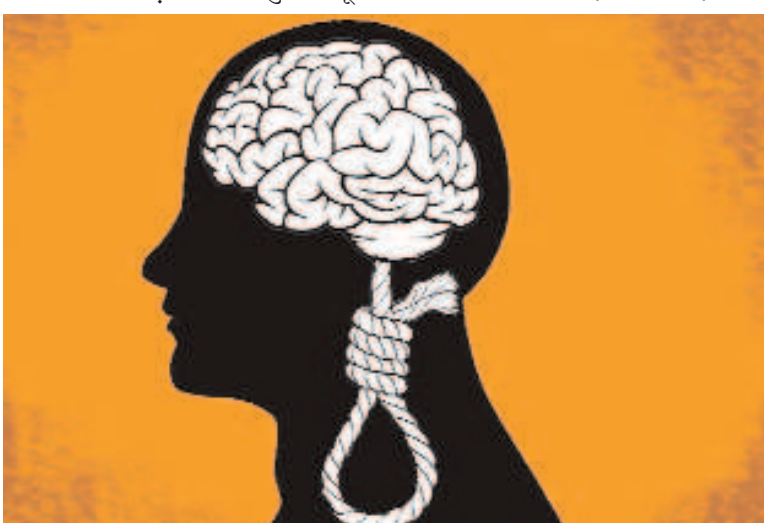

पीछे छोड़ जाता है रोते बिलखते परिवार, कुछ खट्टी-मीठी यादें, अधूरी कहानियाँ, उजड़े हुए परिवार, बिछुड़ता बचपन, टूटी हुई अर्थ व्यवस्था और खालीपन के किस्से साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रोग के गहरे निशान।

मनोवैज्ञानिक सुझाव

मनोवैज्ञानिक तौर पर इस परिस्थिति से बचने की कुछ आवश्यक बातें हैं। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है कि आपके नजदीक कोई व्यक्ति किसी प्रकार की नकारात्मक विचारों या भावनाओं का कोई संकेत तो नहीं दे रहा है। ऐसे संकेत उसके शब्दों में हो सकते हैं, विचारों या भावनाओं में हो सकते हैं, लिखने में दिखाई दे सकते हैं या उसके व्यवहार का हिस्सा हो सकते हैं। आपने किसी भी सूरत में ऐसे आपके नजदीकी व्यक्ति को परेशान करने वाली खबरों / सूचनाओं से बचाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ये खबरें लोगों के जहन में तनाव के स्तर को बढ़ाकर उन्हें मानसिक परेशानियों का शिकार बना सकती हैं। जिससे उसमें तनाव या अवसाद पैदा होगा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगेगा जिससे उसे आत्महत्या के विचार आ सकते हैं।

ऐसे प्रभावित व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक पहलू (सोच-समझ) का इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सामाजिक दूरी की बजाय शारीरिक दूरी को महत्त्व देत हुए मानसिक तौर पर नजदीक आयें। ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों को साझा करें ताकि दूसरों से मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त की जा सके। जब आंतरिक सकारात्मक परिवर्तन हमारे भीतर होगा तभी इस प्रकार से पैदा हुए मानसिक रोगों को हराया जा सकता है। व्यक्तित्व को संतुलित रखने के लिए सकारात्मक विचारों का होना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। सकारात्मक विचार हमारे दिमाग में डोपामाइन व नोरईपाइनफराईन जैसे रासायनिक द्रव्य की सक्रियता को बढ़ाते हैं जिस से व्यक्ति को खुशी व आनंद की अनुभूति होती है। सकारात्मक सोच के कारण मेटाबॉलिज्म संतुलित होता है जिसके कारण मनोविकार उत्पन्न नहीं होते हैं। सकारात्मक सोच तनाव को ऊर्जा में परिवर्तित करके व्यक्ति की ताकत बना देती है जिससे व्यक्ति हर काम को खुशी-खुशी करने के लिए आतुर होते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का नूर होता है जो उसकी सफलता का सूचक होता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावनाएँ हमारे जहन में आती हैं तो यह समय सकारात्मक विकल्प तलासने का होता है। जो हमारे मन के जितना नजदीक होता है जैसे कि आप अपने माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार या अध्यापक के साथ अपनी भावनाएँ साझा करें ताकि आपकी मानसिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। आजकल इसके लिए ऑडियो-वीडियो चैट या कॉलिंग एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। भूले-बिसरे दोस्त या कभी ना मिलने वाले रिश्तेदारों को भी हम फोन करके उनके हालचाल को जानकर खुशी प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन की दुखद अवस्था से निकल सकते हैं। लोगों की मानसिक स्थिति सामान्य बनाए रखने में इस प्रकार के कार्य बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा खुद को व्यस्त रखने के लिए सुबह-शाम व्यायाम का सहारा ले सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज योग-प्राणायाम आदि को अपना सकते हैं। स्वस्थ रखने के साथ-साथ इस प्रकार के कार्य हमें तनाव कम करने में भी हमारी सहायता करेंगे। इन सबके अलावा पेंटिंग, राइटिंग, कुकिंग या सिलाई-बुनाई जैसे बहुत सारे शौक पूरे करना इस समय हमारे लिए मानसिक टॉनिक का काम कर सकता है। मन पसंद हास्य फिल्में देखना या किताबें पढ़ना भी वक्त बिताने का बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। इस मामले में यह भी सलाह दी जा सकती है कि फिल्में देखने या किताबें पढ़ने जैसे काम अगर लगातार कई दिनों तक किए जाएँगे तो तनाव बढ़ाने वाले ही होंगे। इसलिए इन्हें थोड़ा ब्रेक ले कर करें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी इसी तरह देखा जा सकता है। इसलिए कुछ मनोरंजक वीडियो देखकर आप अपनी दिनचर्या को अच्छा कर सकते हैं ताकि मन में आए नकारात्मक विचारों से बचा जा सके। साथ ही साथ यह भी नही भूलना चाहिए कि अत्यधिक मानसिक परेशानी होने पर मानसिक स्वास्थ्य में आई समस्याओं से निपटने के लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना अनिवार्य हो जाता है। ❑

विद्यार्थियों पर ई-खेलों का प्रभाव

नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर है कि जो भी बच्चा 12वीं तक की प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर लेता है, उसके पास कम से कम एक स्किल जरूर हो ताकि जरूरत पड़ने पर वह इससे रोजगार कर सके। सरकार ने कहा कि इसके लिए सभी स्कूलों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी और बच्चे स्थानीय प्रतिष्ठानों में जाकर अपने मन का कोई स्किल सीख सकेंगे।

डॉ. प्रियंका बसवाल
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
अपैक्स महाविद्यालय,
दौसा (राज.)

शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। यह अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में हमारी मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझ-बूझ को विकसित करती है। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में भी हमारी सहायता करती है। यह हमें जीवन में एक अच्छा मनुष्य उसके उपरांत चिकित्सक, अभियंता (इंजीनियर), पायलट, शिक्षक आदि, जो भी हम बनना चाहते हैं वो बनने के योग्य बनाती है। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य को बनाने के द्वारा सफलता की ओर ले जाती है।

भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं सतो गुण, रजो गुण एवं तमो गुण। जिस मनुष्य के अंदर सतो गुण की प्रधानता होती है, वह सात्विक विचारों का होता है। जिस मनुष्य के अंदर रजो गुण होता है वह विलासी प्रवृत्ति का होता है एवं जिस मनुष्य के अंदर तमो गुण की प्रधानता होती है वह तामसी विचार का होता है।

जिस प्रकार विकास और प्रगति का संबंध है उसी प्रकार शिक्षा एवं ज्ञान का संबंध है, एक के साथ भावना जुड़ी हुई है और एक के साथ अर्थ (धन) जुड़ा हुआ है। अर्थ प्रधान व्यवस्था में कृतज्ञता का भाव समाप्त हो जाता है। हर चीज क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध है। ज्ञान हमेशा कृतज्ञता के भाव से लिया जाता है, शिक्षा डिग्रियों के रूप में की जाती है। जहाँ पर कृतज्ञता का भाव आ जाता है वहाँ उत्तरदायित्व की भावना भी आ जाती है। एक इंजीनियर अथवा डॉक्टर जब यह भाव रखते हैं कि मैंने उपाधि प्राप्त करने में धन का निवेश किया है तो उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उसका मूल ध्येय धन प्राप्ति ही रहता है और जब वह ज्ञान ग्रहण करने के भाव से उस क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें मानव मात्र की सेवा का संकल्प जुड़ा हुआ है, तो वह कभी भी धन संचय को जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं मानेगा। हमारे ज्ञान का मुख्य उद्देश्य इस पूरी प्रकृति की सेवा करना है। ऐसे में हमारा परिवार स्वत: ही उस बड़ी संकल्पना में आ जाता है जिसमें उनकी आर्थिक अथवा मौलिक सभी जिम्मेदारियाँ समाहित रहती है। उसी का परिणाम होता है जब एक इंजीनियर मानव मात्र की सेवा के लिए आणविक ऊर्जा का उपयोग करता है और दूसरा इंजीनियर

उसी आणविक ऊर्जा का उपयोग विध्वंश में करता है। एक सृजन में सहयोग करता है और दूसरा विनाश का कार्य करता है। सभी प्रोफेशन में यह लागू होता है चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो अथवा किसी भी सेवा का व्यक्ति हो, वह सृजक भी हो सकता है और संहारक भी। इसलिए प्रत्येक शिक्षा के साथ नैतिकता की महती आवश्यकता होती है। शिक्षा पद्धति इंसान बनाएगी या मानव को रोबोट बनाएगी, क्योंकि ज्यों-ज्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्राफ ऊपर जाएगा, भावनात्मकता का ग्राफ नीचे आएगा। भारतीय वांग्मय में पहली गुरु हमारी माँ को माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता के प्रति कृतज्ञ है तो कभी भी उसके माता-पिता को वृद्ध आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि हमारा पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा माता-पिता की जिम्मेदारी थी उसमें उन्होंने क्या विशेष कर दिया, वहीं से भौतिकवाद हावी हो जाता है, कृतघ्नता शुरू हो जाती है। यही संकल्पना राष्ट्र, समाज एवं परिवार सब पर लागू है। इसलिए कृतज्ञ व्यक्ति सदैव समाज, सभ्यता और संस्कृति की संरक्षा करने वाला होता है।

बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हममें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है। हम सभी अपने बच्चों को सफलता की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं, जो केवल अच्छी और उचित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

अच्छे जीवन-मूल्यों के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के साथ संचार की प्रक्रिया बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से की जाये क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य निर्धारित करते हैं। कहा भी जाता है कि बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य हैं और बचपन में जो चीज सीख और समझ ली जाती है, उसे सारी उम्र लगाकर भी भुलाना मुश्किल ही होता है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन में प्रकाशित शोध के अनुसार मनोवैज्ञानिक पासो ने 'पीसा' स्कोर और सोशल मीडिया के संबंधों का भी अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर समय बिताने वाले छात्रों का परफोर्मेंस औसत से करीब चार प्रतिशत नीचे रहा।

टीवी सीरियल से लेकर रियलिटी शो तक बड़े पर्दे की फिल्मों से लेकर कार्टून और एनिमेशन फिल्मों तक हिंसक दृश्यों का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। लेकिन इसका बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है। मीडिया में दिखाए जाने वाले हिंसक दृश्यों का बच्चों के दिमाग पर असली हिंसा जैसा ही असर होता है। सिडनी के मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक वायेन वारबर्टन का कहना है कि हिंसा का बच्चों के दिमाग में पड़ने वाले असर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।

वारबर्टन का कहना है, ''ऐसे दृश्यों के बाद बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है और वो हिंसा के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं. उन्हें दुनिया जरूरत से ज्यादा खराब लगने लगती है। जिन बच्चों ने टीवी पर हिंसा देखी है उनके दिमाग का चुंबकीय अनुनाद उन्ही बच्चों की तरह होता है जिन्होने हिंसा के असली दृश्य देखे हैं।''

शोध बताते हैं कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आई.क्यू एवं ई.क्यू का संतुलन आवश्यक है। साइबर या हाई प्रोफाइल क्रिमिनल अधिक आई.क्यू व कम ई.क्यू का परिणाम है। गूगल ज्ञान का भंडार होने के कारण आई. क्यू बढ़ा रहा है पर ई. क्यू को कम कर रहा है। सारा सोशल मीडिया वरचुअल सोसायटी बना रहा है पर रियल सोसायटी को खत्म कर रहा है। ऐसे में ई.क्यू कैसे बढ़ सकता है? मीडिया के अधिक प्रभाव से बालक ज्ञानयुक्त एवं मूल्य हीन बनते जा रहे हैं।

बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education -ECCE) की एक मजबूत बुनियाद को सरकार कितना साकार कर पाएगी? चिंता का विषय है कि आर्थिक युग में आज बालक का पहला स्कूल या पहले गुरु कि संकल्पना ही बिखर रही है।

नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर है कि जो भी बच्चा 12वीं तक की प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर लेता है, उसके पास कम से कम एक स्किल जरूर हो ताकि जरूरत पड़ने पर वह इससे रोजगार कर सके। सरकार ने कहा कि इसके लिए सभी स्कूलों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी और बच्चे स्थानीय प्रतिष्ठानों में जाकर अपने मन का कोई स्किल सीख सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को भी लचीला बनाने की कोशिश की है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता मल्टीपल एंट्री-एक्जिट सिस्टम है। मसलन अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन में प्रवेश लेकर सिर्फ एक साल का ही कोर्स पूरा करता है, तो उसे इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं दो साल पूरा करने वालों को डिप्लोमा और तीन साल पूरा करने वालों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहता है, वह सिर्फ तीन साल की डिग्री ले सकता है। वहीं उच्च शिक्षा और शोध की इच्छा रखने वाले छात्र चौथे साल का कोर्स करेंगे। इसके साथ ही अब तक तीन साल का होने वाला ग्रेजुएशन अब चार साल का हो जाएगा। वहीं एमए अब सिर्फ एक साल का होगा, जबकि रिसर्च करने वाले दो साल की एम.फिल. का कोर्स ना कर सीधे पीएचडी कर सकेंगे। ❑

The National Education Policy 2020 and Special Children

Sanchita Sharma

Research Scholar
Central University of Haryana, Mahendragarh

The National Education Policy 2020 (NEP 2020), unveiled by the Government of India on July 29, 2020, is not just a policy document; it's a transformative promise for inclusive education. This groundbreaking reform sets a new direction for education in the country, one that places inclusivity at its core. NEP 2020 is not just about academics; it's a beacon of hope for children with special needs. It redefines inclusive education, ensuring that no child, regardless of their abilities, is left behind. This article delves into the intricacies of NEP 2020 and its profound impact on the Indian education system, particularly for Children With Special Needs (CWSN) or Divyang, granting them the same opportunities for quality education as any other child.

Inclusivity Anchored in Core Values

NEP 2020 is founded on the principles of Access, Equity, Quality, Affordability, and Accountability. It recognizes that education is not just about academic achievements but also about the holistic development of students, both cognitively and socially. For special children, this holistic approach is essential. It focuses on cognitive, social, and emotional skills, fostering cultural awareness, empathy, perseverance, teamwork and leadership.

Inclusive education, as defined by NEP 2020, is not just about children with and without disabilities learning together; it's about adapting teaching methods to accommodate diverse learning needs. The policy is a commitment to social justice, equality, and creating an equitable society through accessible education.

Universal Pre-Primary Education

One of the policy's most significant strides is its commitment to providing pre-primary education for all. By targeting foundational literacy and numeracy for all students by 2025, it ensures early intervention for special children, setting the stage for their educational journey. This initiative promises to leave no child behind, emphasizing the importance of early support.

NEP 2020 is determined to make early education accessible to all children, including those with special needs. It recognizes that the early years are crucial for cognitive and emotional development, and every child deserves the opportunity for quality pre-primary education. The policy is a powerful step toward building an inclusive foundation in India's education system.

Curriculum and Pedagogy

NEP 2020 recommends a

comprehensive overhaul of the curriculum and pedagogical approach. With a 5+3+3+4 structure covering children aged 3-18 years, the policy aims to reduce curriculum load and promote discussion-based learning. For special children, this means a more flexible and accommodating education system. It ensures that the curriculum is adapted to cater to the diverse learning needs of these children.

This adaptability in the curriculum is a significant stride for inclusive education. It acknowledges that one size doesn't fit all and offers the flexibility needed to provide special children with an education tailored to their unique abilities and challenges.

Empowering Teachers for Inclusive Education

Teachers play a pivotal role in making inclusive education a reality. NEP 2020 emphasizes strengthening teacher training programs, equipping educators with the knowledge and skills needed to support students with diverse learning needs effectively. This investment in teacher development is a cornerstone of the policy's impact on inclusive education.

Inclusive education relies on teachers who are well-prepared to meet the diverse needs of their students. NEP 2020 recognizes this and emphasizes the need to empower teachers with the right skills and training to make inclusive education a success. By enhancing teacher training, the policy ensures that special children have access to educators who understand their unique requirements.

Empowering Special Children

NEP 2020 ensures the full integration of children with disabilities into the regular schooling process from the foundational stage to higher education. It is a comprehensive approach that involves the recruitment of special educators with cross-disability training, the establishment of resource centres, and the provision of resources to address the unique needs of children with severe or multiple disabilities. This also involves ensuring barrier-free access in compliance with the Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act.

The comprehensive approach is a testament to the commitment of NEP 2020 to ensuring that special children have access to quality education. It recognizes that children with disabilities, regardless of their abilities, have the same right to education as any other child. By providing the necessary resources, the policy creates an environment where special children can learn, grow, and excel.

Inclusive education is not just a goal but a fundamental right, and NEP 2020 is a significant step toward its realization. The policy's commitment to holistic development, early intervention, teacher empowerment, and technological integration makes it a beacon of hope for special children and their families. As India embarks on this transformative journey, the vision of inclusive education is becoming a reality, creating a brighter and more inclusive future for all students, regardless of their unique abilities.

Differentiated Support for Diverse Needs

The policy recognizes that different categories of children with disabilities have varying needs. Schools and school complexes are tasked with providing tailored accommodations and support to ensure full classroom participation. This includes the provision of assistive devices, technology-based tools, and accessible teaching materials, such as textbooks in large print and Braille. These accommodations extend to all aspects of school life, from academics to arts, sports, and vocational education.

Inclusive education doesn't mean a one-size-fits-all approach. NEP 2020 acknowledges that different children have different needs. By providing tailored support, it ensures that every child, regardless of their abilities, can participate fully in the educational experience. This approach reflects the policy's commitment to inclusivity and equal opportunities for all.

Empowering Through Home-Based Education

NEP 2020 acknowledges that some children with severe and profound disabilities may opt for home-based education. These children will be treated equally and have the same opportunities as their peers in the general system.

Furthermore, NEP 2020 recognizes the importance of technology-based solutions for parent and caregiver orientation and the widespread dissemination of learning materials to actively support children's learning needs.

Home-based education is a viable option for children with severe and profound disabilities. NEP 2020 ensures that these children have the same opportunities and resources as their peers in the regular education system. By using technology to support parents and caregivers, the policy makes home-based education more accessible and effective.

Empowering Teachers with Inclusive Training

The policy emphasizes the need for teachers to identify specific learning disabilities early and plan accordingly. Teacher education programs will include training on teaching children with disabilities, including learning disabilities. This inclusive approach extends to gender sensitization and sensitization towards underrepresented groups to ensure their equal representation in education.

Inclusive education requires teachers who can identify and address specific learning needs. NEP 2020 ensures that teachers are well-prepared to support children with disabilities, including learning disabilities. By providing training on inclusive education, the policy sets the stage for a more inclusive educational environment.

Empowering Alternative Pedagogical Styles

NEP 2020 encourages the preservation of traditional or

alternative pedagogical styles while integrating the prescribed subject areas. It provides financial assistance for introducing science, mathematics, and other relevant subjects into the curriculum, allowing children studying in these schools to attain learning outcomes defined for Grades 1–12.

Alternative pedagogical styles can be effective for children with special needs. NEP 2020 recognizes this and encourages the preservation of these styles while ensuring that children have access to a well-rounded curriculum. By providing financial assistance, the policy makes it possible for special children to achieve the same learning outcomes as their peers.

Impact

The impact of the National Education Policy 2020 on inclusive education and special children is profound. It paves the way for a more equitable and accessible education system, where every child, regardless of their abilities, has the opportunity to thrive and learn. By emphasizing early intervention, teacher training, and technological support, the policy sets the stage for a more inclusive India where special children can fully participate and excel in their educational journey.

NEP 2020 doesn't just promise a better future for special children; it actively works towards it. The policy's impact is evident in its commitment to creating a more inclusive education system and ensuring that children with special needs have the same opportunities as any other child. It's a promise of a brighter, more equitable future for India's special children.

Conclusion

Inclusive education is not just a goal but a fundamental right, and NEP 2020 is a significant step toward its realization. The policy's commitment to holistic development, early intervention, teacher empowerment, and technological integration makes it a beacon of hope for special children and their families. As India embarks on this transformative journey, the vision of inclusive education is becoming a reality, creating a brighter and more inclusive future for all students, regardless of their unique abilities. The National Education Policy 2020 is not just a policy document; it's a promise of a more inclusive, equitable, and empowered India. It reflects the core values of inclusivity, accessibility, and equality that should be at the heart of every educational system. ❑

NEP 2020 : Transforming Higher Education

Dr. Akhilesh Mishra

Assistant Professor, Department of Education, Central University of Karnataka

National education policy 2020 is much awaited policy in education after NPE 1986. It took more than 20 years to review the education system and give a new direction to it according to the present needs of our nation. This policy has reviewed all domains of education from preprimary education to higher education. It is a comprehensive policy which has left no stone unturned in the field of education. Various dimensions of Higher education have been discussed in the policy. Higher education is very important for any nation as it prepares individuals for livelihood facilitating economic development of the nation. It instils the democratic values like liberty, equality, fraternity, and justice in the students which are necessary to become good citizen. That helps to implement the constitutional values in society hence making a democratic, just, socially conscious, cultured, and humane nation.Major domains regarding higher education envisaged by the policy are as follows:

1. Ensuring quality higher education : NEP 2020 has envisaged for providing quality higher education that should aim to develop holistic individuals who have scientific attitude, creativity, constitution values with the skills to become self-reliant.Higher education should not only aim to prepare students for jobs but to prepare them to solve problems, innovate and create knowledge by research, so that they can contribute in the development of the nation's economy. To achieve this, quality of the higher education must be improved. Higher education should become more multidisciplinary which should ensure holistic development of the learners. Students should be offered cross and inter disciplinary experiences by adopting innovative pedagogies in higher education institutions.HEIs and faculties should be given more autonomy. Research should be

Skill based education : One of the prime roles of higher education is preparation of professionals who can contribute in the development of the country. It must centrally involve developing the skills of critical and interdisciplinary thinking, discussion, debate, research, and innovation. Therefore NEP 2020 is stressing upon the skill based education.For this, students at all HEIs will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions or industries so that students may actively be exposed, engaged and trained with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability.

encouraged in universities and college by allocating more funds for outstanding peer-reviewed research. To ensure quality in higher education each higher education institution should attain minimum standards to get accreditation by a single regulatory body for higher education. Multidisciplinary Education and Research Universities should be set up which will be at par with IITs, IIMs, IISERs etc. and the same will aim to attain the highest global standards in quality education.

2. Ensuring equity and accessibility to higher education : This Policy envisions ensuring equitable access to quality education to all students, with a special emphasis on Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs).SEDGs include girl students, students belonging to SC, ST, OBC, PWD etc. SEDGs have to face many problems to make a successful transition to higher education. Policy recommended ensuring increased access, equity, and inclusion through a range of measures. These may include greater opportunities for outstanding public education; scholarships or freeships by private/ philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students; all infrastructure and learning materials accessible and available to learners with disabilities,online education, and Open Distance Learning (ODL) for students from remote and rural areas.Open Distance Learning shall be encouraged by motivating top institutions accredited for ODL to develop high-quality online courses. More HEIs shall be established and developed in underserved regions to ensure full access, equity, and inclusion. To increase the accessibility of higher education in rural areas, NEP 2020 recommended having at least one large multidisciplinary HEI in or near every district by 2030. Hostel facilities should be improved and the requisite support should be provided to students from rural backgrounds.

3. Structural transformation of Higher Education : NEP-2020 recommended some transformations in the structure of Higher Education Institutions and programs offered at HEIs. Regarding the structure of HEIs, policy envisages that stand alone single stream institutions should be replaced by large multidisciplinary universities or institutions which should have at least 3000 enrolled students. It has categorised HIEs into three broad types:

a. A university : It will mean a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and post graduate programmes, with high quality teaching, research, and community engagement.

b. An Autonomous degree-granting College (AC) : It will refer to a large multidisciplinary institution of higher learning that grants undergraduate degrees and is primarily focused on undergraduate teaching.

c. Constituent college of a university : This includes all colleges currently affiliated to a university. These colleges shall attain the required benchmarks over time to secure the prescribed accreditation benchmarks and eventually become autonomous degree-granting colleges.

The policy has suggested some structural transformation in degree programs also which are as follows:

a. Undergraduate degree : Two types of undergraduate degree will be offered. First is of 3 years duration and second is an Honours programme of 4-year duration.

b. Postgraduate degree:

i. 2-year master's programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's programme.

ii. 1-year Master's programme for students completing a 4-year Bachelor's programme with Research.

iii. An integrated 5-year Bachelor's/Master's programme.

Undertaking a Ph.D. shall require either a Master's degree or a 4-year Bachelor's degree with Research.

An important decision was made in NEP 2020 to discontinue the M.Phil. Programme.

4. Multiple entry and exit : With the structural transformation in degree programs at higher education,NEP 2020 is giving the learners flexibility to enter and exit at the end of any year of their program. It has been observed that many learners are not able to complete their degree program due to some unavoidable circumstances. Once they drop out their degree program they don't get any kind of acknowledgement for the study they have done as they could not complete the program. The policy has taken a welcoming step for it. It has envisaged that if a student is not able to complete the program then also s/he can earn credits and deposit these for further study in future. S/he will be awarded with appropriate certification according to the time spent and efforts put into the program e.g., a certificate can be earned after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. In the similar manner, s/he can enter also at any year of the program and continue to complete the program. The credit earned by the student in the previous years will be transferred to be considered to award the degree for the program.

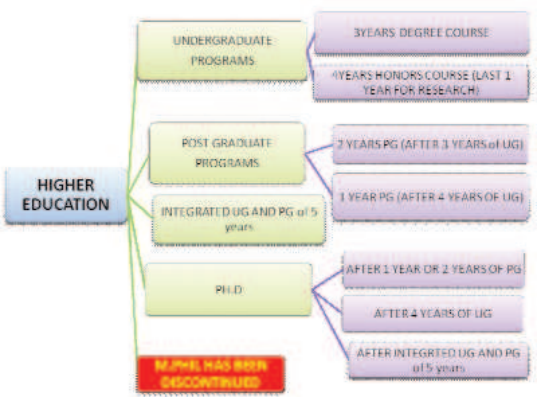

5. Academic bank of credit : An Academic Bank of Credit (ABC) shall be established which would digitally store and keep the record of the academic credits earned for each individual pursuing higher education in any discipline from any recognized HEIs. These credits can be deposited and transferred also from one HEI to another institution for an individu also that the degrees from an HEI can be awarded taking into account credits earned.

6. Multidisciplinary approach : In ancient times, there were many universities in India like Nalanda, Takshila, Vikramshila where multidisciplinary approach was followed and they produced great scholars. Now NEP 2020 is also emphasizing upon this approach as this would help build vibrant communities of scholars and peers, break down harmful silos, enable students to become well-rounded across disciplines including artistic,

creative, and analytic subjects as well as sports. It will help to develop active research communities across disciplines including cross-disciplinary research, and increase resource efficiency, both material and human, across higher education. The policy has recommended that all higher education institutions (HEIs) shall aim to become multidisciplinary institutions by 2040. It has suggested opening more multidisciplinary universities where higher education can be provided in local languages.

7. Importance to vocational education : In our country vocational education is not perceived at par with mainstream education and meant largely for students who are unable to cope with the mainstream education and hence forced to opt for vocational education. Students passing out from Grades 11–12 with vocational subjects often did not have well-defined pathways to continue with their chosen vocations in higher education. The admission criteria for general higher education were also not designed to provide openings to students who had vocational education qualifications, leaving them at a disadvantage relative to their compatriots from 'mainstream' or 'academic' education. This led to a complete lack of vertical mobility for students from the vocational education stream, an issue that has only been addressed recently through the announcement of the National Skills Qualifications Framework (NSQF) in 2013. This policy aims to overcome the social status hierarchy associated with vocational education and requires integration of vocational education programmes into mainstream education in all education institutions in a phased manner. Beginning with vocational exposure at early ages in middle and secondary school, quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. It will be ensured that every child learns at least one vocation and is exposed to several more in school education. By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. Higher education institutions will offer vocational education either on their own or in partnership with industry and NGOs. The B.Voc. degrees introduced in 2013 will continue to exist, but vocational courses will also be available to students enrolled in all other Bachelor's degree programmes, including the 4-year multidisciplinary Bachelor 's programmes. HEIs will also be allowed to conduct short-term certificate courses in various skills including soft skills. The national credit Framework (NCrF)has developed a credit based system which will facilitate mobility across 'general' and vocational education. For example, a student having 3 years of ITI diploma after 12th will have the same credits as a student completing the graduation in any academic stream. Now s/he is equally eligible for getting admission in post graduate program in any relevant academic discipline. Earlier it was not possible.

8. Skill based education : One of the prime roles of higher education is preparation of professionals who can contribute in the development of the country. It must centrally involve developing the skills of critical and interdisciplinary thinking, discussion, debate, research, and innovation. Therefore, NEP 2020 is stressing upon the skill based education.For this, students at all HEIs will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions or industries so that students may actively be exposed, engaged and trained with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability.

Based upon these points it can be said that NEP 2020 is a progressive policy which has given the Indian Education a new direction. If the recommendations of the policy can be implemented well on the ground then it can prove to be a milestone in the field of education and take our nation to the next height. ❑

National Education Policy- 2020 A Paradigm Shift in Higher Education

Dr. Abhay Krishna Singh

Asst. Professor,
Department of Geography,
Dr. Shyama Prasad
Mukherjee University,
Ranchi (Jharkhand)

The National Education Policy 2020, eagerly anticipated since the last major policy update in 1986, presents a bold and innovative overhaul of the educational framework in India, spanning from pre-nursery to university levels post-independence.

The unveiling of the National Education Policy (NEP) 2020 heralds a transformative era for India's education system. This magnum opus, replacing its 34-year-old predecessor, embodies the aspirations of a nation striving to be a global education hub in the 21st century. As we dissect the policy's nuances, the paradigmatic shift it proposes in the domain of higher education stands out prominently. What makes this new Education Policy stand out from its predecessors are the following radical and path-breaking initiatives -

Flexibility and Interdisciplinarity (Rethinking Learning) : One of the core tenets of the NEP 2020 is the reimagining of the academic structure. The policy challenges the traditional, rigid frameworks that have compartmentalized knowledge for years. Higher education institutions are now encouraged to adopt a multidisciplinary approach, ensuring that students aren't funnelled into narrow avenues of study. By offering courses that span humanities, arts, sciences, and vocational studies, the policy envisions creating institutions similar to global liberal arts universities. This approach aims to foster holistic development, enabling students to think critically, adapt to varying professional demands, and address complex, interdisciplinary challenges.

Multiple Entry and Exit Points (Democratizing Education) : In conventional structures, discontinuation often means nullifying years of academic effort. NEP 2020 boldly addresses this by introducing a flexible modular design. Students now have the autonomy to design their academic journey, with provisions to exit and later re-enter programs. Depending on their duration of study, they can secure a diploma (after one year), an advanced diploma (two years), a bachelor's degree (three years), or a bachelor's with research (four years). Such provisions ensure that personal and professional disruptions don't negate academic endeavours, thus making higher

education more inclusive and adaptable.

Catalysts for Research and Innovation : A nation's progress is often synonymous with its emphasis on research and innovation. Acknowledging this, NEP 2020 seeks to metamorphose universities into crucibles of research. The creation of the National Research Foundation (NRF) is a step towards this vision. NRF is envisioned to foster a vibrant research ecosystem by funding critical projects, thereby propelling India onto the global research stage. Such emphasis on research augments academic quality spurs technological advancements, and fuels economic growth.

Comprehensive Development : Education, in its true essence, transcends academic syllabuses. It moulds character, shapes perspectives, and cultivates values. The NEP 2020 accentuates this holistic ethos. By integrating critical thinking, creativity, ethics, and socio-emotional learning into curriculums, the policy ensures that graduates are not just career-ready but also equipped to navigate life's multifaceted challenges with empathy, resilience, and ethical integrity.

The International Nexus: Fostering Global Citizens : In a world characterized by interdependence and globalization, exposure to international paradigms is pivotal. NEP 2020 facilitates this by inviting top global universities to establish their campuses in India. Such initiatives not only provide Indian students with global perspectives but also foster collaborations, leading to knowledge exchange, research partnerships, and enhanced academic standards.

The National Education Policy 2020 is a testament to India's renewed educational vision. By infusing flexibility, emphasizing research, advocating holistic development, fostering international collaborations, ensuring inclusivity, and granting autonomy, the policy sets the stage for a rejuvenated higher education system. Yet, its success hinges on meticulous implementation, stakeholder collaboration, and periodic assessments. With concerted efforts, the NEP 2020 can reshape India's higher education landscape.

Inclusivity and Equity: One of the standout features of NEP 2020 is its unwavering commitment to democratize education. By focusing on socio-economically disadvantaged groups, the policy ensures that higher education is not a privilege of a few but a right of all. Scholarships, financial aid, and targeted programs aim to dismantle barriers and create a diverse, inclusive academic landscape.

The Autonomy Aspect (Empowering Institutions) : Red tape and excessive regulation have often stifled innovation in educational institutions. The NEP 2020 counters this by bestowing significant autonomy on higher education institutions. With the freedom to design curriculums, foster innovation, and manage administrative processes, institutions are empowered to pursue excellence in their unique ways, while remaining accountable to overarching quality standards.

Streamlining the Regulatory Maze : To enhance government's efficiency, the policy proposes the establishment of the Higher Education Commission of India (HECI). This body, replacing multiple regulatory agencies, serves as a singular point of governance, ensuring streamlined operations, reduced overlaps, and enhanced transparency

The policy, with its transformative ideas and forward-looking ethos, pledges to usher in changes that resonate with the demands of the 21st century. Nonetheless, while the document's intent is commendable, there are critical concerns and areas of improvement, particularly in the realm of higher education.

While the policy's intent is progressive, the praxis of its provisions, particularly within the realm of the Indian Knowledge System (IKS), demands a caveated yet nuanced evaluation. Arguably, the concerns or the suggestions put forward may have some policy implementation issues, nonetheless, the modification or the insertions hereof, may turn the table in favour of the Indian Knowledge System, a Provision the comprehensive NEP 2020, hinges upon. The way our traditional Indian indigenous reservoir of heuristic knowledge paradigm has been sidelined, ridiculed and frowned upon by the Marxist pseudo-academician's for decades, needs a resounding rebut in the form of rebuilding an education system on the strong edifice of the Indian Knowledge system.

Bhagavad Geeta : A Philosophical Imperative or a Controversial Mandate? One of the more debated inclusions is the

recommendation of introducing the Bhagavad Geeta as a mandatory component of the Indian Knowledge System syllabus at the undergraduate level. Rooted deeply in Indian ethos, the Geeta serves as a reservoir of profound philosophical insights, encompassing life's multifaceted dimensions, ranging from ethics to leadership.The study of Bhagwat Geeta should be made compulsory at the undergraduate and Postgraduate levels. Implementation of Geeta has an essential and mandatory part of the syllabus and needs strong political resolution, which the present government is not miser at showing off.

Mandating the Bhagavad Geeta in the Indian Knowledge System should be pivotal in shaping up a designed curriculum for the 'Indian Knowledge System'. The Geeta, undeniably, is a profound philosophical treatise that carries lessons of ethics, leadership, and life. Integrating it could potentially offer students insights into timeless wisdom and moral values. Geeta doesn't only give a philosophical insight to cope with the lifestyle woes, problems, and routine adjustment-related issues usually encountered by youngsters, but it also provides the best available managerial skill and a guiding light to a spiritual sojourn simultaneously leading a householder's life. This sacred text has been influential not just for its religious significance but also for its philosophical, moral, and ethical discussions should be an integral part of NEP 2020.

Cultural Heritage and Identity : The Gita is an integral part of India's cultural and philosophical heritage. Including it in the UG syllabus can help student's understand their cultural roots and the philosophical underpinnings of Indian thought.

Universal Themes : The Gita touches upon universal themes such as duty (dharma), righteousness, and the nature of reality. These concepts are not limited to any one religion or philosophy but have broader relevance in understanding human nature and behaviour.

Ethical and Moral Dilemmas: Arjuna's internal conflict about going to war against his kin presents a profound moral and ethical dilemma. Such dilemmas can serve as a basis for discussions on ethics, morality, and decision-making in contemporary scenarios.

Psychological Insights : The Gita offers deep psychological insights into human emotions, desires, attachments, and the quest for inner peace. This can be an invaluable resource for students of psychology, sociology, and humanities.

Interdisciplinary Relevance : The teachings of the Gita have relevance across disciplines – from literature and history to philosophy, psychology, and even management. Business leaders worldwide, like Mahatma Gandhi and Albert Einstein, have drawn inspiration from its teachings.

Promotion of Secular Understanding : While the Gita is a Hindu scripture, its teachings are not confined to any one religion. Its inclusion can promote secularism, where students from diverse backgrounds study it as a philosophical text rather than a religious one.

Critical Thinking and Analysis : The dialogic nature of the Gita, where Arjuna asks questions, and Krishna responds, can promote critical thinking and analytical skills among students. They can be encouraged to question, analyze, and form their interpretations.

Life Skills and Coping Mechanisms : The Gita provides coping mechanisms for stress, anxiety, and the uncertainties of life. With rising mental health issues among the youth, such teachings can be invaluable.

While there are compelling reasons to include the Gita in the UG syllabus, it's essential to approach its teaching in a manner that emphasizes its philosophical, ethical, and psychological insights rather than any religious dogma. This ensures that students from diverse backgrounds can benefit from its teachings without feeling alienated. However, given the rich tapestry of diverse religions and mosaic of culture and language, India upholds its pride in inclusivity and respect for all, the inclusion of the Geeta should not be taken as a forced imposition. The skill, dexterity and political acumen of the governance play a significant role in protecting and keeping the socio-cultural fabric and milieu of the nation intact.

The National Education Policy 2020 is a testament to India's renewed educational vision. By infusing flexibility, emphasizing research, advocating holistic development, fostering international collaborations, ensuring inclusivity, and granting autonomy, the policy sets the stage for a rejuvenated higher education system. Yet, its success hinges on meticulous implementation, stakeholder's collaboration, and periodic assessments. With concerted efforts, the NEP 2020 can reshape India's higher education landscape. ❑

संत कबीर का विचार-दर्शन

प्रो. सुशील कुमार बिस्सू
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर, अजमेर (राज.)

आदिकाल से ही भारतीय चिंताधारा ऐहिकता की अपेक्षा परमार्थिक रही है और इसी प्रकार के तत्त्वों को महत्त्व भी देती रही है। यहाँ के प्राचीनतम ग्रंथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा अहंकार आदि से बचने और परोपकार, दान, दया, क्षमा, ईश्वर-चिंतन की ओर उन्मुख होने के उद्देश्य की पूर्ति करते दिखाई देते हैं। समस्त वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में भी यही नीतिगत तथ्य और उपदेश प्राप्त होते हैं। समय-समय पर भारतीय चिंताधारा में देश की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप अनेक संतों, दार्शनिकों, कवियों, विचारकों आदि ने अपना योगदान दिया। संतों ने जहाँ भारतीय धर्म-साधना को आगे बढ़ाया वहीं सामाजिक स्तर पर भी समाज में फैली बुराईयों को भी पूरी दृढ़ता से खण्डित करने का प्रयास किया। भारत के इतिहास में ऐसे ही एक महान विचारक और कवि संत कबीरदास हुए जिन्होंने निर्गुण, निराकार ईश्वर की भक्ति के साथ समाज में फैले पाखंड एवं अंधविश्वासों को पूरी निर्भीकता एवं दृढ़ता से खण्डित करते हुए दूर करने का प्रयास किया। संत कबीर ने जिस तरह की अनास्था मिथ्या आडम्बरों के प्रति दिखाई वैसी तो पहले कभी कोई समाज सुधारक भी नहीं दिखा सका और उसके बाद के युग में भी इस तरह का साहस कोई और न कर सका।

संत कबीर के जन्म और लालन-पालन के विषय में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं पर अधिकांश विद्वान इनका जन्म जुलाहा जाति में तेरहवीं शताब्दी के अंत अथवा चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ मानते हैं। उस काल के साक्ष्यों, ग्रंथों एवं विद्वानों के अनुसार कबीर जी का जन्म 1398 ई. में और उनका निधन 1518 ई. में हुआ। इस मंतव्य का समर्थन 'कबीर परिचई' के इस उल्लेख से भी हो जाता है कि कबीर जी को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में अपने को जुलाहा तो अनेक बार कहा परन्तु वे बराबर अपने को 'ना-हिन्दू ना-मुसलमान' कहते रहे। पर निर्गुण राम का जप करने का उपदेश वे कई जगह देते हैं जिससे उनके पालन-पोषण के उस भारतीय संस्कृति के संकेत मिलते हैं जिसका वे अंग रहे होंगे।

''निर्गुण राम जपहु रे भाई।
अविगति की गति लखी न जाई।।
चारि वेद जाके सुमृत पुराना।
नौ व्याकरनां मरम न जाना।।
सेसनाग जाके गरुड़ समाना।
चरन कबला कँवला नहिं जाना।।
कहै कबीर जाकै भेदै नाहीं।
निज जन बैठै हरि की छांहीं।।''

कबीर जी स्वामी रामानंद के शिष्य थे और उनका स्थान प्रमुख शिष्यों में से एक था ऐसा उस काल के उल्लेखों से स्पष्ट

होता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप कबीर ने भी गुरु की महिमा को अनंत और अपार बताया है। वे गुरु शिष्य के सम्बन्ध और गुरु-शिष्य प्रेम का उल्लेख करते हुए लिखते हैं -

सदगुरु के परताप ते
मिटि गयौ सब दुख-दंद।
कह कबीर दुविधा मिटी,
गुरु मिलिया रामानंद।।
सतगुरु की महिमा अनंत,
अनंत किया उपगार।
लोचन अनंत उघाडिया,
अनंत दिखावणहार।।
रामनाम के पटंतरै,
देवै को कछु नाहिं।
क्या ले गुरु संतोषिए,
हौंस रही मन माहि।।
जल मैं बसै कमोदिनी,
चंदा बसे आकास।
जो जाही का भावता,
सो ताहि के पास।।
जो गुरु बसै, बनारसी,
सीष समंदर तीर।
बिसास्या नहिं बीसरै,
जे गुण होई सरीर।।

कबीर जी के माता-पिता के विषय में किसी प्रकार का मत प्रमाणित रूप से प्राप्त नहीं होता है। किंवदंती है कि नीरू जुलाहे और उसकी पत्नी नीमा ने इनका पालन पोषण किया तथा कबीर की पत्नी लोई व कमाल और कमाली इनकी संतानें थी। कबीर जी ब्रह्म के परम साधक थे परन्तु अक्षरज्ञान उन्हें नहीं था। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है -

''मसि कागद छुयौ नहीं, कलम गही नहिं हाथ इसलिए यह तथ्य निर्विवाद है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को नहीं लिखा। परन्तु खोज-रिपोर्टों, संदर्भ ग्रन्थों, पुस्तकालयों के विवरणों आदि में उनके दर्शन एवं विचारों पर 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अगाधमंगल, अनुरागसागर, अमरभूलें, अक्षरखंड की

कबीर का साहित्य अपनी सरलता, जीवन-दर्शन की गंभीरता और तत्त्व बोध के कारण अत्यन्त प्रभावशाली है। इनकी हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति, जनसामान्य की भाषा, तत्कालीन परिवेश के अनुरूप रचना, सरल, सहज एवं कृत्रिमता विहीन रचनाएँ तत्कालीन अशिक्षित जनता के साथ निम्न एवं उच्च वर्ग सभी पर प्रभाव डालती रही है। एक तरफ जहाँ पंडितों और दर्शनिकों का प्रभाव एक सीमित शिक्षित वर्ग तक था वहीं संत कबीर का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता रहा है।

रमैनी, अक्षरभेद की रमैनी, अग्रगीता, कबीर की बाणी, कबीर गौरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्मविरुपण, मुहम्मदबोध, रेखता, विचारमाला, विवेकसागर, शब्दावली, हंसमुक्तावली, ज्ञानसागर आदि। इन कृत्तियों में से कुछ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। उदाहरण रूप में 'मोहम्मदबोध' और 'कबीर गोरख की गोष्ठी' की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कबीर न तो मोहम्मद साहब और न ही गोरखनाथ जी के समकालीन थे। इस प्रकार बाद के वर्षों में मनमानी कथाएँ तैयार करके संप्रदाय के लोगों को भुलावा देने का प्रयास भी किया गया है।''

एक ओर जहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष निगुर्ण अद्वैत की ओर दिखाई देता है वहीं वे ईश्वर भक्ति के साथ भी दृष्टिगोचर होते हैं, यह साथ-साथ कैसे चल सकती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि कबीर राम को रूप-रेखा, आकार-प्रकार, द्वैत-अद्वैत, भाव-अभाव से परे समझते थे।

पार ब्रह्म के तेज का,
कैसा है उनमान।
कहिबे कूँ सोभा नहीं,
देखे की परमान।।
अविनासी की सेज पर,
केरै आनंद।
कहै कबीर वा सेज पर,
विलसत परमानंद।।

कबीर की ईश्वर भक्ति उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्हें स्वयं पर, गुरु पर और अपनी साधना पर कभी कोई संदेह नहीं था। वे जिस सांई (ईश्वर) की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता और उस राम से तो अपना सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है।

साँई सेंत न पाइये,
बाताँ मिलै न कोय।
कबीर सौदा राम सौं,
सिर बिन कदै न होय।।
कबीर यहु घर प्रेम का,
खाला का घर नाँहि।
सीस उतारे भुँई धरै,
सो पैसे घर माँहि।
कबीर निज घर प्रेम का,
मारग अगम - अगाध।
सीस उतारि पगतलि धरै,
तब निकटि प्रेम का स्वाद।।

कबीर को हम एक व्यंग्यकार की उपमा भी दे सकते हैं, पाखण्ड, आडम्बरों एवं अंधविश्वासों पर उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, सहज एवं अत्यंत सादी भाषा की शैली और चोट करने का सारा ढंग इनसे पहले और बाद के वर्षों में बहुत कम दिखाई पड़ता है।

ना जाने तेरा साहब कैसा है।
मसजिद भीतर मुल्ला पुकारै,
क्या साहब तेरा बहिरा है?
चिउँटी के पग नेवर बाजे,
सो भी साहब सुनता है।
पंडित होय के आसन मौर,
लंबी माला जपता है।
अंतर तेरे कपट-कतरनी,
सो भी शाहब लखता है।

ऊँचा-नीचा महल बनाया,
गहरी नेंव जमाता है।
चलने का मनसूबा नाहीं,
रहने का मन करता है।
कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी,
गाड़ि जमीं में धरता है।
जेहि लहना है सो लै जइहै,
पापी बहि बहि मरता है।।
सतर्वती को गजी मिलै नहिं,
वेश्या पहिरै खासा है।
जेहि घर साधू भीख न पावैं,
भंडुआ खात बताशा है।।
हीरा पाये परख नहिं जाने,
कौड़ी परखन करता है।
कहत कबीर सुनो भाई साधो,
हरि जैसे को तैसा है।।

कबीर के समान निर्भीक एवं आत्मविश्वास के साथ अन्य कोई पाखंड और आडंबरों पर ऐसी चोट नहीं कर सका है। भगवान के नाम पर पाखण्ड करने वालों और दूसरों को गुमराह करने वालों के प्रति वे कठोर और आक्रामक थे परन्तु गुमराह लोगों की गलती दिखाने में उन्हें रस मिलता था।

चली है कुलबोरनी गंगा नहाय।
सतुवा कराइन बहुरी भुँजाइन,
घूँघट ओते भसकता जाय।
गठरी बाँधिन मोटरी बाँधिन,
खसम के मुँड़े दिहिन धराय।
बिछुवा पहिरिन औठा पहिरिन,
लात खसम के मारिन धाय।
गंगा न्हाइन जमुना न्हाइनउ
नौ मन मैल लिहिन चढ़ाय।
पाँच-पचीस के धक्का खाइन,
घरहुँ की पूँजी आई गँवाय।
कहत कबीर हेत कर गुरु सो,
नहीं तोर मुकुती जाई नसाय।।

कबीर ईश्वर-प्रेम को ही सब कुछ मानते थे। समस्त व्रतों, उपवासों और तीर्थों को एक साथ अस्वीकार कर केवल प्रेम को साधन और साध्य दोनों मानते थे।

पढ़ि-पढ़ि के पत्थर भया,
लिखि लिखि भया जुईंट।
कहै कबीरा प्रेम की,
लगी न एकौ छींट।।
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ,
पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर प्रेम का,
पढ़ै सो पंडित होई।।

कबीर के विचारों का आधार उनका आत्मानुभव है। पढ़ी गई पोथी को आधार मानने वालों से भिन्न दृष्टिकोण को वे कुछ इस प्रकार कहते हैं -

मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होइ रे।
मैं कहता ही आँखिन देखी,
तू कहता कागद की लिखी :
मैं कहता समझावनहारी,
तू राख्यो अरूझाइ रे!

कबीर जी इस संसार में सब कुछ चंचल और अस्थिर मानते हैं और उस परम तत्त्व (राम) को शाश्वत और स्थिर मानते हैं -

''कबीर नौबत आपणी,
दिन दस लेहु बजाई
ए पुर-पाटन ए गली,
बहुरि न देखै आई।।
जिनके नौबति बाजती,
मैंगल बँधते बारि।
एकै हरि के नाँव बिन,
गए जन्म सब हारि।।''

कबीर जी ईश्वर को मनुष्य के अंदर ही विद्यमान मानते हैं। उनके विचार से इसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है।

''मोको कहाँ ढूढे बंदे,
मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल ना मैं मसजिद,
ना काबे कैलास में।
ना तो कौने क्रिया-कर्म में,
नहीं योग बैराग में।
खोजी होय तो तुरतै मिलिहौं,
पल भर की तलास में।
कहै कबीर सुनो भाई साधो,
सब स्वाँसों की स्वाँस में।।''

संत कबीरदास भारतीय धर्म साधना के इतिहास में ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हुए जो दीर्घकाल तक और वर्तमान में भी भारतीय जनता के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। उनके विचारों और दर्शन में केवल आध्यात्मिक अनुभूतियों का दर्शन ही नहीं होता अपितु तत्कालीन जनजीवन का प्रतिबिंब भी दृष्टिगोचर होता है। जब मध्यकाल में धर्म-साधनों की बाढ़ में धर्माचरण के नाम पर अनाचार और मिथ्याचार पलने लगा। ज्ञानचर्चा की आड़ में पाखंड को प्रश्रय मिलने लगा तब उन्होंने सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्त्व किया। उनका मुख्य लक्ष्य पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित, प्रताड़ित एवं वंचित मानव की समरत प्रवत्तियों तथा मनोभावों का गंभीर विचारयुक्त चित्रण कबीर ने किया। उनका विचार दर्शन धार्मिक रुढ़ियों और सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं के अन्धानुकरण पर प्रहार कर, सर्वजन की मंगलकामना की अनुभूति का चित्रण कर भविष्य में भी मार्ग प्रशस्त करता रहेगा।

कबीर का साहित्य अपनी सरलता, जीवन-दर्शन की गंभीरता और तत्त्व बोध के कारण अत्यन्त प्रभावशाली है। इनकी हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति, जनसामान्य की भाषा, तत्कालीन परिवेश के अनुरूप रचना, सरल, सहज एवं कृत्रिमता विहीन रचनाएँ तत्कालीन अशिक्षित जनता के साथ निम्न एवं उच्च वर्ग सभी पर प्रभाव डालती रही है। एक तरफ जहाँ पंडितों और दर्शनिकों का प्रभाव एक सीमित शिक्षित वर्ग तक था वहीं संत कबीर का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता रहा है। इसके अतिरिक्त कबीर के दर्शन एवं विचारों में समन्वयवादी स्वस्थदृष्टि, विचारों का आधार मतवाद न होना, सर्वजन सुलभ अनुभूति का आधार, सत्य उद्घाटन का साहस, ईश्वर की सत्ता और उसकी सर्वशक्तिमता में अटूट विश्वास, अत्यन्त निर्भीकता एवं स्पष्टता से मिथ्याडंबरों और धार्मिक रूढ़ियों के खोखलेपन से परिचित कराने का साहस सम्मिलित है जो उन्हें दीर्घकाल से पथ-प्रदर्शक बनाये हुए हैं। ❑